

## अध्याय-II बिक्री, व्यापार आदि पर कर

### 2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य सवंधित कर के कानून एवं उसके अधीन बने नियम, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित होते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0) उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग का प्रमुख होता है, जिनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। सुसंगत कर कानूनों एवं नियमों को लागू करने में सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2014-15 में ₹ 42,931.54 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से सम्बन्धित 1,645 इकाइयों में से 539 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं के ₹ 625.77 करोड़ के 3,014 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 2.1

#### लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)	
क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि	
1	वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	420.74	
2	कर का अवनिर्धारण	795	56.44	
3	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्र की स्वीकार्यता	191	7.14	
4	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	51	1.82	
5	आईटी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	297	24.87	
6	अन्य अनियमितताएं	1,679	114.76	
<b>योग</b>		<b>3,014</b>	<b>625.77</b>	

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष के दौरान विभाग ने 134 मामलों में ₹ 14.25 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 127 मामलों में ₹ 14.17 करोड़ की वसूली की गयी। शेष मामलों में विभाग द्वारा उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

“वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 420.74 करोड़ सन्निहित एवं कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 31.19 करोड़ सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

## 2.3 'वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

### प्रमुख अंश

- अन्तर्विभागीय सूचना/ऑकड़ों के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित और उन्हें पंजीकृत करने एवं ₹ 289.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.3.9.2)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद निस्तारित न किये जाने के परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान 6,042 से 1,84,052 वाद वर्ष के बाद के माहों में बकाये रह गये। इसके परिणामस्वरूप वादों के निस्तारण के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान शासन को एक माह से लेकर तीन माह तक तीन बार समयावधि बढ़ानी पड़ी। इसने आने वाले वर्षों के कर निर्धारण को भी प्रभावित किया।

(प्रस्तर 2.3.12 एवं 2.3.13)

- 20 में से 4 जोनों में 2011-12 से 2014-15 के दौरान क0वा0क0 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के मानक के सापेक्ष, 0.27 से 0.44 प्रतिशत की अत्यन्त कम प्रतिशतता के मध्य व्यापारियों को टैक्स आडिट हेतु चयनित किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी टैक्स आडिट हेतु चयनित नहीं किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यापारियों के कार्यालय, व्यवसाय के स्थान एवं गोदाम पर कोई भी टैक्स आडिट सम्पन्न नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.3.14)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 16 खण्डों के 23,786 व्यापारियों में से 3,102 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 34 व्यापारियों के मामलों में ₹ 6.98 करोड़ की आई0टी0सी0 के दावों में अनियमितता यथा अनियमित/अदेय आई0टी0सी0 का दावा, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि के मामले थे।

(प्रस्तर 2.3.15)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 47,076 व्यापारियों में से 7,669 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 74 व्यापारियों के मामलों में कर की गलत दर लगाये जाने, माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, कर निर्धारण में टर्नओवर का छूट जाना आदि के कारण ₹ 6.48 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.3.16)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 58,298 व्यापारियों में से 8,556 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 82 व्यापारियों के मामलों में टर्नओवर का छिपाया जाना, स्वीकार किये गये कर का विलम्ब से जमा होना, माल का बिना घोषणा पत्र के आयात किया जाना एवं मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करने के प्रकरण थे परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 114.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.3.17)

- आईटीसी0 के दावों को अनुमन्य करने एवं कर बीजकों के विरुद्ध की गयी बिक्री की धनराशि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा की गयी सभी खरीद एवं बिक्री सत्यापित हो। वर्तमान ऑनलाइन व्यास प्रणाली में संव्यवहारों का शत प्रतिशत सत्यापन सम्भव नहीं था क्योंकि केवल ₹ 50 लाख अथवा अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी ही इस प्रणाली में ई-रिटर्न दाखिल कर रहे थे।

(प्रस्तर 2.3.20)

- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की खण्डों की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 9 से 96 प्रतिशत की कमी रही। अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति 8,506 से बढ़कर 11,228 हो गयी और उस पर वसूली के बकाये की स्थिति ₹ 69.98 करोड़ से बढ़ कर ₹ 445.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.3.22.2 एवं 2.3.22.3)

### 2.3.1 प्रस्तावना

व्यापार कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है जो राज्य के कुल कर राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत योगदान करता है। इसमें मूल्य संवर्धित कर (मू0सं0क0), केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) एवं स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्र0क0) शामिल है। मू0सं0क0 बहुबिन्दु कर प्रणाली है जहाँ उत्पादन श्रृंखला में उपभोक्ता तक पहुंचने तक, वस्तुओं की बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर कर लगता है। वाणिज्य कर विभाग, कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है एवं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, नियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी विभिन्न विज्ञप्तियों, परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

### 2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश में निहित होता है जिनका मुख्यालय लखनऊ में है। विभाग को 20 जोनों में संगठित किया गया है, प्रत्येक जोन के प्रमुख एडिशनल कमिश्नर होते हैं और जोनों को पुनः 45 सम्भागों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख ज्वाइन्ट कमिश्नर होते हैं। पुनश्च, इन सम्भागों को 436 खण्डों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों को कर निर्धारण का अधिकार प्राप्त है।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या

- अधिनियम के प्रावधान एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियम पर्याप्त हैं एवं राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिये उचित रूप से लागू किये जाते हैं।
- मानव संसाधन का प्रबन्धन दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से किया जा रहा है।
- विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावकारी है तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा के मामलों की सम्यक् रूप से जानकारी ली जा रही है एवं अनुपालन किया जा रहा है।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं:

- उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली।
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली।
- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञप्तियां एवं परिपत्र।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

“वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 एवं मई 2015 के मध्य सम्पादित की गयी जो अवधि 2008-09 से 2013-14 के सम्बन्ध में 2010-11 से 2014-15 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये कर निर्धारणों से सम्बन्धित थी। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राजस्व संग्रह के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम क्षेत्रों<sup>1</sup> में वर्गीकृत करने के पश्चात रैण्डम चयन के आधार पर चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चार एडिशनल कमिश्नर, अपील; चार ज्वाइंट कमिश्नर, टैक्स आडिट; आठ ज्वाइंट कमिश्नर,<sup>2</sup> (कार्पोरेट सर्किल) एवं 93 खण्डों<sup>3</sup> का चयन किया गया जो विभाग के सम्पूर्ण 20 जोन को आच्छादित करते हैं। हमने आवधिक विवरणियों, वार्षिक विवरणियों, पंजीयन प्रमाण पत्रों, रियायती/ करमुक्ति के घोषणापत्रों, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तुलन पत्र की नमूना जाँच की एवं अन्य विभाग से संग्रहीत आँकड़ों/सूचनाओं का प्रतिसत्यापन किया।

एक प्रारम्भिक गोष्ठी 30 दिसम्बर 2014 को शासन एवं विभाग के साथ आयोजित की गयी जिसमें प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ने शासन तथा एडिशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया। 6 अक्टूबर 2015 को शासन एवं विभाग के साथ समापन गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन एवं एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग से चर्चा की गयी। शासन/विभाग के अभिमत को संगत प्रस्तारों में शामिल किया गया है।

### 2.3.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

<sup>1</sup> ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) एवं ₹100 करोड़ एवं अधिक राजस्व संग्रह वाले खण्डों को उच्च जोखिम, ₹25 करोड़ अथवा अधिक परन्तु ₹100 करोड़ से कम राजस्व संग्रह वाले खण्डों को मध्यम जोखिम तथा ₹25 करोड़ से कम राजस्व संग्रह वाले खण्डों को निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया गया था।

<sup>2</sup> ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) आगरा, इलाहाबाद, जौ0बी0नगर, गाजियाबाद-I, गाजियाबाद-II, गोरखपुर, कानपुर-II एवं लखनऊ-I

<sup>3</sup> खण्ड-आगरा खण्ड 1, अलीगढ़ खण्ड 8, इलाहाबाद खण्ड 1 एवं 10; अम्बेडकरनगर खण्ड 2; अमरोहा खण्ड 1; आजमगढ़ खण्ड 1; बहराइच खण्ड 2; बौदा खण्ड 2; बाराबंकी खण्ड 2; बरेली खण्ड 6; बस्ती खण्ड 1 एवं 2; भदोही खण्ड 1 एवं 3; बुलन्दशहर खण्ड 1; चन्दौली खण्ड 2; देवबंद खण्ड 1; देवरिया खण्ड 1; फेजाबाद खण्ड 2 एवं 3; फतेहगढ़ खण्ड 1 एवं 3; फतेहपुर खण्ड 3; फिरोजाबाद खण्ड 3; जौ0बी0नगर खण्ड 1; गाजियाबाद खण्ड 1, 2, 3, 4 एवं 19; गाजीपुर खण्ड 2 एवं 4; गोरखपुर खण्ड 2, 5 एवं 6; हमीरपुर खण्ड 2; हसनपुर खण्ड 1; हाथरस खण्ड 1; जौनपुर खण्ड 2 एवं 6; झांसी खण्ड 8; कानपुर खण्ड 11, 17, 20, 24 एवं 27; खतौली खण्ड 2; लखीमपुर खीरी खण्ड 2 एवं 3; लखनऊ खण्ड 3, 5, 9 एवं 19; मऊ खण्ड 2; मेरठ खण्ड 9 एवं 12; मिर्जापुर खण्ड 1, 2 एवं 3; मुरादाबाद खण्ड 2 एवं 4; मुजफ्फरनगर खण्ड 1, 3 एवं 7; नजीबाबाद खण्ड 1; नानपारा; नोएडा खण्ड 2, 3, 7, 9, एवं 14; प्रतापगढ़ खण्ड 2; रायबरेली खण्ड 1; रामपुर खण्ड 1, 2 एवं 3; सहारनपुर खण्ड 3, 6 एवं 12; सन्तकबीर नगर खण्ड 1; शाहजहांपुर खण्ड 2 एवं 4; श्रावस्ती; सिद्धार्थनगर खण्ड 1; सोनमद्र खण्ड 1, 3 एवं 5; उन्नाव खण्ड 2 तथा वाराणसी खण्ड 4, 11, 17, एवं 19।

### 2.3.7 प्राप्तियों का रुझान

विगत पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही उसी अवधि में बिक्री व्यापार आदि पर कर की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण सारणी 2.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2

#### प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)						
वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक कर राजस्व का प्रतिशत
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-)2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+)1,107.34	3.46	52,613.43	62.93
2012-13	38,492.18	34,870.16	(-)3,622.02	(-) 9.41	58,098.36	60.02
2013-14	43,936.00	39,645.45	(-)4,290.55	(-) 9.77	66,582.08	59.54
2014-15	47,497.92	42,931.54	(-)4,566.38	(-) 9.61	74,172.42	57.88

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक कर प्राप्तियों का रुझान घटते हुये क्रम में था।

### 2.3.8 राजस्व बकाया

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राजस्व बकाये के प्रारम्भिक शेष, वृद्धि, निस्तारण एवं अन्तिम शेष की स्थिति सारणी 2.3 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.3

#### बकाये की स्थिति

(₹ करोड़ में)					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	कोर्ट द्वारा स्थगित अथवा अपलेखन की धनराशि	निस्तारण	अन्तिम शेष
2010-11	16,453.30	6,009.29	4,446.21	1,350.97	16,665.41
2011-12	16,665.41	8,810.87	4,815.49	1,700.51	18,960.28
2012-13	18,960.28	11,474.50	5,633.74	1,950.51	22,850.53
2013-14	22,850.53	9,394.44	5,371.68	2,411.65	24,461.64
2014-15	24,461.64	9,540.36	4,929.17	2,725.70	26,347.13

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े।

सारणी से यह देखा जा सकता है कि अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान बकाया ₹ 16,665.41 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,347.13 करोड़ हो गया जिसमें से ₹ 11,462.56 करोड़ वसूली के लिए पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित था।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उपरोक्त अधिनियम 1 जनवरी 2008 से प्रभाव में आया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए कर निर्धारण की प्रणाली की समीक्षा की एवं अनेक कमियाँ पायीं जो कि अनुवर्ती प्रस्तरो में उल्लिखित की गयी हैं।

### 2.3.9 व्यापारियों का पंजीयन

उपरोक्त अधिनियम 2008 की धारा 17 प्राविधानित करती है कि प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने का दायी है, जब उसका टर्नओवर ₹ पाँच लाख की निर्धारित सीमा को पार कर जायेगा, स्वयं को पंजीकृत करायेगा।

### 2.3.9.1 पंजीकृत एवं निरस्त व्यापारियों का विवरण

2010-11 से 2014-15 के दौरान नये पंजीकृत किये गये व्यापारियों एवं ऐसे व्यापारियों जिनका पंजीयन निरस्त किया गया था, का विवरण सारणी 2.4 में दर्शाया गया है।

#### सारणी 2.4

##### व्यापारियों का पंजीयन

वर्ष	कुल व्यापारियों की संख्या	व्यापारियों की संख्या जिन्हें पंजीकृत किया गया	निरस्त किये गये पंजीयन की संख्या
2010-11	5,94,695	77,561	46,161
2011-12	6,42,645	77,924	55,164
2012-13	7,08,636	81,442	29,646
2013-14	6,98,877	81,501	27,206
2014-15	6,98,997	85,028	42,690

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

सारणी व्यापारियों के पंजीयन में बढ़ोत्तरी के रुझान को दर्शाती है।

### 2.3.9.2 व्यापारियों के पंजीयन के लिए अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र का अभाव

प्रति सत्यापन के लिए अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु तन्त्र के अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 मदिरा व्यवसायियों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में असफल रहा।

विज्ञप्ति सं०-2-879 दिनांक 26 मार्च 2008 के अनुसार किसी व्यापारी द्वारा देशी मदिरा एवं स्पिरिट तथा स्पिरिट युक्त मदिरा के सभी प्रकार जिनमें मिथाइल एल्कोहल शामिल नहीं है की खरीद एवं बिक्री इस शर्त के अधीन कर मुक्त है कि संबन्धित व्यापारी कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष क0वा0क0 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र कर अवधि की विवरणी के साथ इस आशय के साथ दाखिल करे कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा यूनाइटेड प्रोविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल एवं एल्कोहल टैक्सेशन एक्ट 1939 के अन्तर्गत प्रतिफल शुल्क, आबकारी अभिकर, शुल्क अथवा देय क्रय कर, जैसा भी प्रकरण हो, अदा कर दिया गया है। उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने के लिए मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पंजीकृत हों। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(7) के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी हो, निर्धारित रीति एवं निर्धारित समय में पंजीयन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह जिस अवधि में व्यापार जारी रखता है, ₹ 100 प्रत्येक दिन के लिए अर्धदण्ड के रूप में अदा करेगा।

हालांकि पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित करने के लिए खण्ड स्तर पर सर्वेक्षण हेतु यथा, आच्छादित किये जाने वाला क्षेत्र, सर्वेक्षण की आवधिकता एवं सर्वेक्षण में आच्छादित व्यापारियों की संख्या के लिये मू0सं0क0 अधिनियम द्वारा अथवा शासन/विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति/ परिपत्र द्वारा कोई मानदण्ड/लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

हमने कमिश्नर, राज्य आबकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की सूचनाओं का संकलन किया एवं उनका मिलान वाणिज्य कर विभाग के अभिलेखों से किया और पाया कि 79,363 मदिरा की दुकान के अनुज्ञापियों ने फार्म 'ई' में प्रमाण पत्र प्राप्त एवं विवरणी के साथ दाखिल नहीं किया था क्योंकि वे बिना पंजीयन के अपनी दुकानें चला रहे थे एवं प्रत्येक वर्ष ₹ पाँच लाख से अधिक की मदिरा की बिक्री कर रहे थे। प्रति सत्यापन हेतु अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तन्त्र के अस्तित्व में न होने के कारण विभाग इन मदिरा दुकान अनुज्ञापियों को

चिन्हित कर उन्हें पंजीकृत करने में असफल रहा। चूँकि ये मदिरा दुकान के अनुज्ञाप्री बिना पंजीयन लिये अपना व्यापार चला रहे थे, वे अर्थदण्ड के रूप ₹ 289.82 करोड़ भुगतान के दायी थे, जो कि आरोपित नही किया गया था, जैसा कि सारणी 2.5 में दर्शाया गया है।

### सारणी 2.5

#### राज्य आबकारी विभाग के साथ समन्वय का अभाव

वर्ष	देशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों की संख्या	विदेशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों की संख्या	कुल अपंजीकृत मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों की संख्या	वर्ष के दौरान ₹ 100 प्रतिदिन की दर से एक व्यापारी पर आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि (धनराशि ₹ में)	कुल अर्थदण्ड की धनराशि जो आरोपित नहीं की गयी (₹ लाख में)
2010-11	11,737	2,459	14,196	36,500	5,181.54
2011-12	11,960	2,963	14,923	36,600	5,461.82
2012-13	12,774	3,550	16,324	36,500	5,958.26
2013-14	13,354	3,504	16,858	36,500	6,153.17
2014-15	13,506	3,556	17,062	36,500	6,227.63
योग	63,331	16,032	79,363		28,982.42

स्रोत: कमिश्नर, राज्य आबकारी से संग्रहीत की गयी सूचना

समापन गोष्ठी में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा कि यदि विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो व्यापारी कर अदा करने के दायी हैं और इसलिये पंजीयन के लिये भी उत्तरदायी हैं।

शासन अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित कर पंजीकृत करने के उद्देश्य से अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र विकसित करने एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान बनाने पर विचार कर सकता है।

### 2.3.10 विवरणी का दाखिल किया जाना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 49,705 से लेकर 1,08,152 व्यापारियों द्वारा विवरणी दाखिल न किया जाना विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण में कमी का द्योतक है।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली का नियम 45 प्रावधानित करता है कि यदि किसी व्यापारी का सकल टर्नओवर एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक माह उसकी कर अवधि होगी एवं उसे मासिक विवरणी दाखिल करना होगा। उन व्यापारियों के प्रकरणों में जिनका वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये से कम हो कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक त्रैमास उनकी कर अवधि होगी एवं उन्हें त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना होगा। प्रत्येक व्यापारी सभी कर अवधि की विवरणी के साथ कर बीजकों के विरुद्ध की गयी खरीद एवं बिक्री की सूची दाखिल करेगा, जिसमें नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित विवरण शामिल होंगे। ₹ 50 लाख अथवा अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी द्वारा अनिवार्य रूप से ई-रिटर्न दाखिल करना अपेक्षित है तथा शेष व्यापारी इसे मैनुअली दाखिल कर सकते हैं।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 28 प्रावधानित करती है कि यदि कोई पंजीकृत व्यापारी धारा 24(7) के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक विवरणी या धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित कर विवरणी नियत तिथि के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहता है तो निर्धारित प्राधिकारी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करेगा।

कमिश्नर, वाणिज्य कर के कार्यालय से एकत्रित सूचना से यह प्रकाश में आया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 49,705 से लेकर 1,08,152 पंजीकृत व्यापारियों ने अपनी विवरणी दाखिल नहीं किया था, जैसा कि सारणी 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.6

विवरणी का दाखिल किया जाना

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	व्यापारियों की संख्या जिन्होंने अपनी विवरणी दाखिल किया		व्यापारियों की संख्या जिन्होंने अपनी विवरणी दाखिल नहीं किया
		मैनुअली	ई-रिटर्न	
2010-11	5,94,695	4,47,778	97,112	49,705
2011-12	6,42,645	4,42,956	1,13,481	86,208
2012-13	7,08,636	5,23,682	1,32,029	52,925
2013-14	6,98,877	4,35,271	1,55,454	1,08,152
2014-15	6,98,997	4,29,836	1,74,291	94,807

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इतनी अधिक संख्या में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विवरणी का दाखिल न किया जाना विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण में कमी का द्योतक है।

हमने मामला विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर प्राप्त नहीं है (नवम्बर 2015)।

**कर निर्धारण की प्रणाली**

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिए प्रावधान, धारा 6 (समाधान), धारा 27 (स्वतः कर निर्धारण), धारा 28 (अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् कर का निर्धारण), धारा 29 (कर निर्धारण के समय छूट गये टर्नओवर का कर निर्धारण) एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (कं0बि0क0अ0), 1956 की धारा 9 में निहित है।

**2.3.11 विवरणियों की जाँच**

नमूना जाँच किये गये 435 व्यापारियों में से 16 व्यापारियों का स्वतः कर निर्धारण बिना विवरणियों की समुचित जाँच किये कर दिया गया था क्योंकि विवरणी के निर्धारित प्रारूप में भरी जाने वाली सूचना/आँकड़े/बाक्स के सम्बन्ध में ये विवरणियाँ अपूर्ण थीं एवं विवरणियों के साथ दाखिल किये जाने के लिए आवश्यक साक्ष्यों/प्रपत्रों के साथ नहीं थीं।

व्यापारियों द्वारा दाखिल की गयी सभी विवरणियों की जाँच अनिवार्य रूप से क0नि0प्रा0 द्वारा की जाती है। क0नि0प्रा0 व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों की जाँच करते समय विक्रय अथवा क्रय अथवा दोनों के टर्नओवर की शुद्धता, दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि, विवरणियों में व्यापारी द्वारा दर्शाये गये देय कर का परीक्षण करते हैं। वह स्वयं को इस बात से संतुष्ट भी करते हैं कि व्यापारी द्वारा विवरणी में दर्शाया गया देय कर जमा कर दिया गया है, विवरणी के साथ अपेक्षित सभी संलग्नक हैं, सभी प्रपत्र जिनके आधार पर कर की छूट/रियायत का दावा किया गया है विवरणी के साथ दाखिल किये गये हैं तथा विवरणी के सभी सम्बन्धित कालम पूर्ण रूप से भरे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 27 प्रावधानित करती है कि प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसने वार्षिक विवरणी विहित प्रपत्र और शीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, क्रय या विक्रय या दोनों के टर्नओवर पर स्वीकृत रूप से देय ऐसी विवरणी में दर्शाया गया हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि जिसे ऐसी विवरणी में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों से यह प्रमाणित है कि स्वतः कर निर्धारित होने के लिये केवल यह पूर्व शर्त है कि निर्धारित या बढ़ायी गयी तिथि के अन्दर सही और पूर्ण विवरणी दाखिल हो।



हमने ज्वा0कमि0 (का0स0) इलाहाबाद एवं नौ खण्डों में डीम्ड निस्तारित मामलों की जाँच की और पाया कि, 932 व्यापारियों में नमूना जाँच किये गये 435 व्यापारियों में से 16 व्यापारियों का स्वतः कर निर्धारण बिना विवरणियों की समुचित जाँच किये ही कर दिया गया था। ये विवरणियाँ निर्धारित प्रारूप में भरी जाने वाली सभी सूचनाओं/आँकड़ों/बाक्सों को भरे जाने के सम्बन्ध में अपूर्ण थीं तथा विवरणियों के साथ दाखिल किये जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक साक्ष्यों/प्रपत्रों के बिना संलग्न किये थीं। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ जैसे कि बैंक खाता का विवरण, प्रारम्भिक रहतिया एवं अन्तिम रहतिया, बिक्री की गयी वस्तु का नाम विवरणियों में नहीं भरे गये थे। यह तद् अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित विधायिका के उद्देश्य के विरोधाभासी है। इस प्रकार उन मामलों में दाखिल की गयी विवरणियाँ स्वयं में पूर्ण नहीं थीं एवं इसलिए उद्देश्यपूर्ण जाँच तथा सम्परीक्षा के लिए परीक्षणीय नहीं थीं जिसके कारण अन्ततः कर का कम आरोपण/कर का अवनिर्धारण हुआ। विवरण परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

हमने मामले को विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.12 समानुपातिक रूप से कर निर्धारण वाद पारित न किया जाना

प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद पारित न किये जाने के कारण वर्ष के परवर्ती माहों में भारी मात्रा में कर निर्धारण वाद पारित किये जाने के लिए अवशेष थे, परिणामस्वरूप कर निर्धारण वादों को निस्तारित करने के लिए शासन को 2010-11 से 2014-15 के दौरान तीन बार एक माह से लेकर तीन माह तक की समयावधि बढ़ानी पड़ी।

बिक्री कर मैनुअल का प्रस्तर 232 क0नि0प्रा0 द्वारा प्रत्येक माह कर निर्धारण वाद पारित किये जाने की संख्या प्रावधानित करता है। पुनश्च क0वा0क0 ने अपने परिपत्र दिनांक 31 मई 2013 द्वारा क0नि0प्रा0 को वर्ष के दौरान निस्तारित किये जाने वाले वादों का आकलन कर प्रत्येक माह समान रूप से कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के लिए निर्देशित किया है।

हमने 93 खण्डों से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की सूचना संकलित की एवं पाया कि क0नि0प्रा0 द्वारा माह के दौरान नियमित रूप से पारित किये गये कर निर्धारण वादों की संख्या शून्य से लेकर 635 तक थी।

हमने पाया कि विद्यमान मैनुअल के प्रावधानों एवं क0वा0क0 के द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक माह में समान रूप से वाद पारित नहीं किये गये थे। वादों को व्यापारियों द्वारा दाखिल लेखा बहियों एवं अन्य विवरणों के सम्पूर्ण, प्रबल एवं गहन जाँच के पश्चात ही निस्तारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह समान रूप से वाद निस्तारित न किये जाने के कारण वर्ष के परवर्ती माहों में भारी मात्रा में वाद कर निर्धारण करने के लिए अवशेष रह गये। इसके परिणामस्वरूप शासन को वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए तीन बार एक माह से लेकर तीन माह तक की समयावधि बढ़ानी पड़ी। यह आगामी वर्षों के कर निर्धारण को भी प्रभावित करता है।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने बताया कि रियायती/करमुक्ति के प्रपत्रों को जमा करने के लिए व्यापारी समय बढ़ाने की माँग करते हैं एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार क0नि0प्रा0 उचित कारण पाये जाने पर उन्हें समय देने के लिए बाध्य हैं। इसके फलस्वरूप वर्ष के बाद के महीनों में कार्य भार होता है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि क0वा0क0 ने उपरोक्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही निर्देश जारी किये हैं।

### 2.3.13 कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

2010-11 से 2014-15 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नये तथा निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों की संख्या का विवरण सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

#### सारणी 2.7

#### कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	कर निर्धारण हेतु नये मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले	बकाये की प्रतिशतता
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042	1.09
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052	27.87
1012-13	1,84,052	4,58,225	6,42,277	4,95,505	1,46,772	22.85
2013-14	1,46,772	3,92,046	5,38,818	5,31,405	7,413	1.38
2014-15	7,413	3,14,328	3,21,741	2,55,480	66,261	20.59

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कर निर्धारण वाद के निस्तारण में बकाया 1.09 से 27.87 प्रतिशत के मध्य था।

हमने मामले को विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

शासन निर्धारित समयावधि के अन्दर कर निर्धारण वादो के निस्तारण के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकता है।

### 2.3.14 विभाग द्वारा कर सम्परीक्षा

2011-12 से 2014-15 के दौरान 6,54,828 व्यापारियों में से केवल 2,075 व्यापारी ही कर सम्परीक्षा के लिए चयनित किये गये थे जो प्रतिशतता में अत्यल्प 0.27 से 0.44 प्रतिशत के मध्य थे एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी कर सम्परीक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 44(1) प्रावधानित करती है कि व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा दाखिल की गयी कर विवरणी या विवरणियों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यापारियों जितनी विहित की जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी। अधिनियम अग्रेतर प्रावधानित करता है कि जहाँ सुविधाजनक हो, अधिकारी, व्यापारी के कार्यालय, व्यापार स्थल या गोदाम में कर सम्परीक्षा सम्पन्न कर सकता है।

हमने कर सम्परीक्षा के सम्बन्ध में प्रावधानों एवं आदेशों के लागू होने की जाँच के लिए वाणिज्य कर विभाग के चार जोनों<sup>4</sup> से सूचनाएं संकलित कीं और पाया कि 2011-12 से 2014-15 के दौरान कर सम्परीक्षा हेतु अत्यल्प प्रतिशतता, 0.27 से 0.44 प्रतिशत के मध्य व्यापारियों का चयन किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी कर सम्परीक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, अधिनियम में यथा निर्धारित, व्यापारियों के कार्यालय, व्यापार स्थल अथवा गोदाम पर कोई सम्परीक्षा सम्पन्न नहीं की गयी थी।

चार जोनों में कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों का विवरण सारणी 2.8 में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup> आगरा, इलाहाबाद, बरेली एवं वाराणसी-1

सारणी 2.8

विभाग द्वारा की गयी कर सम्परीक्षा

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	वर्ष के दौरान कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या एवं पूर्ण की गयी कर सम्परीक्षा	चयनित व्यापारियों की प्रतिशतता	व्यापारियों के व्यापार स्थल पर सम्पन्न की गयी सम्परीक्षा की संख्या
2010-11	1,18,734	0	0.00	0
2011-12	1,28,045	343	0.27	0
2012-13	1,41,270	623	0.44	0
2013-14	1,33,567	527	0.39	0
2014-15	1,33,212	582	0.44	0

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

ज्वा0कमि0 टैक्स आडिट के कार्यालय में कर सम्परीक्षा शाखा द्वारा प्रकाश में लाये गये मामलों के अनुपालन एवं उसके आधार पर वसूली से सम्बन्धित अनुवर्ती कार्यवाही के कोई भी अभिलेख नहीं रखे गये थे क्योंकि कर सम्परीक्षा के पश्चात पत्रावलियों को कर निर्धारण हेतु सम्बन्धित खण्डों को वापस कर दिया गया था।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने उत्तर दिया कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क0वा0क0 द्वारा व्यापारियों की कर सम्परीक्षा हेतु पाँच प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के कारण कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या में कमी थी। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या क0वा0क0 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के मानक से बहुत कम है एवं यहाँ तक कि यह एक प्रतिशत भी नहीं किया जा सका।

कर सम्परीक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग को निर्धारित नमूना आकार का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए ताकि विभाग द्वारा स्वयं ही राजस्व क्षति के और अधिक मामले खोजे जायें एवं उनमें सुधार किया जा सके।

### 2.3.15 आई0टी0सी0 के दावों में अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच ने छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 16 खण्डों के वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के 23,786 व्यापारियों में नमूना जाँच किये गये, 3,102 व्यापारियों में से 34 व्यापारियों के प्रकरणों में ₹ 6.98 करोड़ के आई0टी0सी0 के दावों में अनियमितताएं जैसे कि अनियमित/अननुमन्य आई0टी0सी0 का दावा, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का न उत्क्रमण एवं उस पर ब्याज का न प्रभारण आदि प्रकाश में आये। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तारों में दर्शाये गये हैं।

#### 2.3.15.1 आई0टी0सी0 की अधिक अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 13.57 करोड़ के माल की खरीद पर अनुमन्य दर से उच्च दर लागू करने तथा त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ₹ 1.54 करोड़ के बजाय ₹ 2.01 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का दावा किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.62 लाख की अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य हुयी।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 प्राविधानित करती है कि कोई व्यापारी प्रान्त के अन्दर के किसी व्यापारी से धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर कर का भुगतान करके कर योग्य माल की खरीद करता है तो वह विहित रीति से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने का पात्र है।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0) आगरा एवं दो खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 259 व्यापारियों में से तीन व्यापारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 13.57 करोड़ के माल की खरीद पर ₹ 2.01 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ अपने वार्षिक विवरणी में लिया था। यद्यपि कि अधिनियम के

प्रावधानों के अनुसार व्यापारी केवल ₹ 1.54 करोड़ की आईटीसी के ही हकदार थे। क०नि०प्रा० ने दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य का पता नहीं लगाया कि ज्वा०कमि० (का०स०) आगरा के प्रकरण में व्यापारी ने पाँच प्रतिशत के बजाय 13.5 प्रतिशत की दर से आईटीसी प्राप्त किया था तथा खण्ड 1 अमरोहा एवं खण्ड 5 गोरखपुर में व्यापारियों ने त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अधिक आईटीसी प्राप्त किया था। इस प्रकार व्यापारियों को त्रुटिपूर्ण रूप से ₹ 46.62 लाख की अधिक आईटीसी अनुमन्य कर दी गयी थी।

### 2.3.15.2 मिथ्या/कपटपूर्ण आईटीसी का दावा

प्रतिसत्यापन किये जाने पर व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 94.67 लाख की आईटीसी मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि कि इसे क०नि०प्रा० द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया था, परन्तु व्यापारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपटित उ०प्र०मू०सं०क० नियमावली 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा कर बीजक के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गयी ऐसी बिक्री अथवा खरीद पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि की सीमा तक आईटीसी अनुमन्य है। मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54(1)(19) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क०नि०प्रा० संतुष्ट है कि, यथास्थिति, जहाँ कोई व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति आईटीसी के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को, उसके द्वारा देय कर यदि कोई हो, के साथ-साथ, अर्थदण्ड के रूप में आईटीसी की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

हमने दो ज्वा०कमि०(का०स०) व दो खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 301 व्यापारियों में से पाँच व्यापारियों के मामलों में क०नि०प्रा० ने व्यापारियों के आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन किया और पाया कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 94.67 लाख की आईटीसी की धनराशि का मिथ्या/कपटपूर्ण ढंग से दावा किया गया था। यद्यपि कि क०नि०प्रा० ने मई 2013 एवं जनवरी 2015 के दौरान कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 94.67 लाख के आईटीसी के दावे को उत्क्रमित कर दिया परन्तु ₹ 4.73 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

व्यापारियों ने माल की वास्तविक खरीद के बिना कर बीजक प्राप्त किये थे। यह एक धोखाधड़ी का मामला था। दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को हतोत्साहित करने हेतु बने हैं। क०नि०प्रा० द्वारा ऐसे मामलों में अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। क०नि०प्रा० द्वारा ₹ 4.73 करोड़ के अर्थदण्ड के अनारोपण के सम्बन्ध में कोई कारण अथवा औचित्य नहीं बताया गया था।

### 2.3.15.3 मिथ्या कर बीजक प्राप्त करना

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(iv) के अन्तर्गत जहाँ एक व्यापारी माल की वास्तविक खरीद के बिना कर बीजक या विक्रय बीजक प्राप्त करता है, क०नि०प्रा० यह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के साथ-साथ अर्थदण्ड के रूप में माल के मूल्य का 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान करे।

● मिथ्या कर बीजकों पर आईटीसी का अनुमन्य किया जाना

फर्जी कम्पनियों से बिना माल की वास्तविक खरीद किये प्राप्त किये गये ₹ 37.83 लाख के कर बीजकों के आधार पर ₹ तीन लाख की आईटीसी का दावा क०नि०प्रा० द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया।

हमने खण्ड 9, मेरठ में आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन तथा कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 141 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2008-09 के दौरान कर बीजकों के विरुद्ध ₹ 37.83 लाख के माल की खरीद की थी और ₹ तीन लाख की आईटीसी का दावा किया था। हमारे अन्य खण्डों से बिक्री/खरीद के विवरण के प्रतिसत्यापन से स्पष्ट हुआ कि व्यापारी ने माल की वास्तविक खरीद किये बिना फर्जी फर्मों से कर बीजक प्राप्त किये थे। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2011 में व्यापारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कर बीजकों की प्रमाणिकता की जाँच का प्रयास किये बिना ₹ तीन लाख की आईटीसी के दावे को अनियमित रूप से अनुमन्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ तीन लाख की आईटीसी अनियमित रूप से अनुमन्य की गई साथ ही ₹ 18.92 लाख का अर्थदण्ड भी अनारोपित रहा।

● मिथ्या कर बीजक प्राप्त करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

माल की वास्तविक खरीद किये बिना ₹ 62.33 लाख के कर बीजक प्राप्त करने पर क०नि०प्रा० द्वारा ₹ 31.16 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमने खण्ड-2, बाराबंकी में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 96 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2010-11 के दौरान माल की वास्तविक खरीद किये बिना ₹ 62.33 लाख के कर बीजक प्राप्त किये थे। क०नि०प्रा० ने मार्च 2014 में व्यापारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 3.12 लाख की आईटीसी को तो उत्क्रमित कर दिया परन्तु न तो ₹ 31.16 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड के अनारोपण का कारण ही अंकित किया।

**2.3.15.4 करमुक्त बिक्री पर आईटीसी का न/कम उत्क्रमित किया जाना**

व्यापारियों ने उन माल की खरीद के सम्बन्ध में जिनकी बिक्री करमुक्त थी, ₹ 47.31 लाख की आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया था। कर निर्धारण के समय क०नि०प्रा० द्वारा भी उसे उत्क्रमित नहीं किया गया था।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 13(7) सपठित धारा 7 के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा, जहाँ व्यापारी द्वारा ऐसे माल की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त हो अथवा ऐसे माल का उपयोग या उपभोग किसी माल के विनिर्माण या पैकिंग में किया गया हो तथा व्यापारी द्वारा ऐसे विनिर्मित या पैक किये गये माल की बिक्री करमुक्त हो, इनपुट टैक्स की किसी धनराशि का दावा नहीं किया जायेगा और ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि व्यापारी द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है तो यह 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उत्क्रमणीय होगा।

हमने दो ज्वा०कमि० (का०स०) और चार खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 513 व्यापारियों में से आठ व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-2012 के दौरान उन वस्तुओं की खरीद पर ₹ 47.31 लाख

की आईटीसी को त्रुटिपूर्वक प्राप्त किया जिनकी ₹ 77.32 करोड़ मूल्य की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त थी। कनिप्रा ने मई 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया और न ही ब्याज की माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.54 लाख की आईटीसी का अनुक्रमण तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

### 2.3.15.5 स्टॉक ट्रांसफर पर आईटीसी उत्क्रमित न किया जाना

व्यापारियों ने उन माल के सम्बन्ध में जिन्हें प्रांत के बाहर स्थानान्तरित अथवा प्रेषित किया गया था, ₹ 6.88 लाख की दावा की गई आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया था। कर निर्धारण करते समय भी इसे कनिप्रा द्वारा उत्क्रमित नहीं किया गया था।

उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 13 (प्रभावी 28 फरवरी 2009 से संशोधित) के अन्तर्गत यदि राज्य के भीतर से खरीदे गये कर योग्य माल को स्थानान्तरित/प्रेषित किया जाता है अथवा निर्माण में उपयोग के बाद ऐसे विनिर्मित माल को राज्य के बाहर स्थानान्तरित या प्रेषित किया जाता है तो आईटीसी की आंशिक राशि ही अनुमन्य होगी जो कि चार प्रतिशत से अधिक की होगी। यदि व्यापारी आईटीसी की पूरी धनराशि का दावा करता है तो आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जो अनुमन्य नहीं है 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उत्क्रमित कर दिया जायेगा।

हमने ज्वाकमि (कास) जीबी नगर एवं खण्ड 2 बहराइच में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 308 व्यापारियों में से तीन व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 के दौरान कर बीजक के विरुद्ध राज्य के अन्दर से खरीदे गये ₹ 7.31 करोड़ के माल जिस पर आईटीसी का दावा किया गया था, के स्टॉक ट्रांसफर पर ₹ 6.88 लाख की आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया गया था। कनिप्रा ने मार्च 2012 एवं फरवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी ₹ 6.88 लाख को उत्क्रमित किया और न ही ब्याज की माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.78 लाख की आईटीसी का अनुक्रमण तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

### 2.3.15.6 माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आईटीसी का उत्क्रमित न किया जाना।

कनिप्रा ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गयी ₹ 5.67 लाख की आईटीसी, जिनकी बिक्री खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 13 (1)(च) के अन्तर्गत जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया गया है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस दर पर विक्रय किया गया है, जो पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल के विक्रय मूल्य, अथवा निर्मित माल पर संदेय कर की सीमा तक होगी। यदि व्यापारी आईटीसी की सम्पूर्ण धनराशि का दावा करता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा से अधिक आईटीसी की धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उत्क्रमणीय होगी।

हमने चार खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 585 व्यापारियों में से चार व्यापारियों ने वर्ष 2010-11 एवं

2011-12 के दौरान ₹ 9.10 करोड़ के माल की खरीद की थी एवं ₹ 62.63 लाख की आईटीसी का दावा किया था तथा इसे ₹ 8.46 करोड़ में बेचा था। व्यापारियों ने माल के विक्रय मूल्य पर ₹ 56.96 लाख की आईटीसी की सीमा के बजाय माल के खरीद मूल्य पर आईटीसी प्राप्त किया। कनिप्रा ने नवम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी ₹ 5.67 लाख को उत्क्रमित किया और न ही साधारण ब्याज सहित इसकी माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.80 लाख के आईटीसी का अनुक्रमण तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

### 2.3.15.7 आईटीसी का अनियमित समायोजन और ब्याज का प्रभारित न किया जाना।

कनिप्रा ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 24.07 लाख की गैर अनुमन्य आईटीसी की ब्याज सहित माँग सृजित करने के बजाय इस गैर अनुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित कर दिया एवं इसे व्यापारियों के शेष आईटीसी से समायोजित कर दिया।

उप्रमूसंक अधिनियम 2008 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी के स्वतः संज्ञान में यह आता है कि उसने किसी ऐसी आईटीसी का दावा कर लिया है जो कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो वह ऐसी घटना के संज्ञान में आने के बाद अगली कर विवरणी दाखिल करते समय इसे उत्क्रमित करेगा। व्यापारी उत्क्रमित की गयी आईटीसी की धनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित कोषागार में जमा करने का दायी होगा।

हमने दो ज्वाकमि (कास) और तीन खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 798 व्यापारियों में से आठ व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 24.07 लाख की आईटीसी का दावा किया था, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। कनिप्रा ने सितम्बर 2011 एवं जनवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पर देय ब्याज प्रभारित किये बिना इस गैर अनुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया एवं इसे व्यापारी के अवशेष आईटीसी से समायोजित कर दिया, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी इस उत्क्रमित की गयी आईटीसी को साधारण ब्याज सहित जमा करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.07 लाख की आईटीसी का अनियमित समायोजन और ₹ 14.29 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ।

### 2.3.15.8 समाधान योजना के अन्तर्गत संविदाकार को अनियमित रूप से आईटीसी अनुमन्य किया जाना

कनिप्रा द्वारा समाधान योजना के अन्तर्गत संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरित माल की खरीद पर ₹ 19.14 लाख की आईटीसी जो कि अनुमन्य नहीं थी, व्यापारी को अनुमन्य कर दी गयी।

उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो समाधान राशि अदा करने का विकल्प लेता है वह उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी से कर योग्य माल की खरीद पर आईटीसी का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।

हमने जनवरी 2015 में खण्ड 19 लखनऊ में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 101 व्यापारियों में से एक व्यापारी रेडी मिक्स कंक्रीट, स्टोन ग्रेट, सैण्ड आदि की खरीद एवं बिक्री करने तथा सिविल संविदा

के कार्य में संलग्न था। उसने वर्ष 2010-11 के लिए सिविल कार्य संविदा हेतु समाधान योजना का विकल्प लिया। व्यापारी ने ₹ 5.96 करोड़ के माल की खरीद की एवं ₹ 55.27 लाख की आईटीसी का दावा किया। क्रय किये गये माल का पुनर्बिक्री एवं संकर्म संविदा के निष्पादन दोनों में उपयोग किया गया था। व्यापारी ने कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2.96 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया जिसमें ₹ 2.07 करोड़ (प्राप्त भुगतान का 70 प्रतिशत) की सामग्री का अन्तरण किया गया था। चूँकि व्यापारी ने समाधान योजना का विकल्प लिया था वह संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरित किये गये माल की खरीद पर आईटीसी पाने का पात्र नहीं था। क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 55.27 लाख के सम्पूर्ण आईटीसी दावे को अनुमन्य किया जबकि संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किये गये ₹ 2.07 करोड़ के माल पर समानुपातिक रूप से ₹ 19.14 लाख की आईटीसी को अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 19.14 की आईटीसी अनियमित रूप से अनुमन्य हुई।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने उप-प्रस्तर 2.3.15.1 से 2.3.15.8 तक पर हमारे प्रेक्षकों को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.16 कर का न/कम आरोपण

छ: ज्वा०कमि० (का०स०) एवं 35 खण्डों के अवधि 2008-09 से 2013-14 के लिये 47,076 व्यापारियों में नमूना जाँच किये गये 7,669 व्यापारियों में से 74 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों (क०नि०प्रा०) ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की निम्नतर दरें लागू की गयीं एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.48 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

#### 2.3.16.1 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

व्यापारियों द्वारा ₹ 12.54 करोड़ के टर्नओवर को अपने विवरणियों में घोषित नहीं किया गया जबकि यह उनके कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय यह टर्नओवर छूट गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.10 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क०नि०प्रा० से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें।

हमने दो ज्वा०कमि० (का०स०) एवं 10 खण्डों में व्यापारिक और लाभ/हानि खाता, वार्षिक बैलेंस शीट, वर्तमान एवं विगत वर्ष के कर निर्धारण आदेशों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,077 व्यापारियों में से 13 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान क०नि०प्रा० को दाखिल की गयी अपनी विवरणियों में ₹ 12.54 करोड़ के टर्नओवर को घोषित नहीं किया था। टर्नओवर के विवरण, व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की सम्यक रूप से जाँच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.54 करोड़ का टर्नओवर छूट गया एवं इसके फलस्वरूप ₹ 61.10 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।



समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा कि एक मामले में ₹ 28000 का कर आरोपित कर दिया गया है एवं शेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.16.2 कर की गलत दर लगाया जाना एवं माल का गलत वर्गीकरण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं, अनुसूची III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा अनुसूची IV में शामिल वस्तुएं (गैर-वैट माल), शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, कुछ निश्चित वस्तुओं पर शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

#### ● कर की गलत दर लगाया जाना

क0नि0प्रा0 ने ₹ 77.35 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में प्रावधानित कर की दर के बजाय व्यापारियों द्वारा अपने विवरणियों में घोषित कर की गलत दर को लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.56 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

हमने चार ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 28 खण्डों के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,984 व्यापारियों में से 46 व्यापारियों ने 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 77.39 करोड़ के माल की बिक्री पर अपनी विवरणियों में कम दर से कर देयता स्वीकार की थी अथवा कर मुक्ति का दावा किया था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 और मार्च 2015 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय अनुसूची में निर्धारित कर की दर के स्थान पर व्यापारियों द्वारा अपनी विवरणियों में घोषित की गयी कर की दर से करारोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.56 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि तीन मामलों में ₹ 9.50 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। डिप्टी कमि0 खण्ड 4 वाराणसी के मामले में बताया कि एडहेसिव अनुसूची-II की प्रविष्टि सं0 171 के अन्तर्गत आच्छादित है अतः सही कर आरोपित किया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त प्रविष्टि में सेल्फ एडहेसिव प्लेट्स, शीट्स, फिल्म पवायल, टेप, प्लास्टिक के स्ट्रिप चाहे रोल में हों अथवा नहीं शामिल हैं, यह एडहेसिव को आच्छादित नहीं करता है। शेष मामलों के लिए बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

#### ● माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 10.77 करोड़ के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा घोषित वस्तु के वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं निम्नतर दर से कर आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 92.07 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने दो ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं पाँच खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1086 व्यापारियों में से 13 व्यापारियों ने ₹ 10.77 करोड़ के माल की बिक्री पर वस्तुओं का गलत वर्गीकरण किया था एवं कम दर से करदेयता स्वीकार किया था। क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2013 और मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते

समय वस्तुओं को सही वर्गीकृत कर अनुसूची में दी गयी दरों पर कर आरोपण करने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित दरों को स्वीकार करते हुए माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 92.07 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि एक मामले में ₹ 10.56 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है और डि0कमि0 खण्ड 1, रायबरेली के मामले में उत्तर दिया कि ट्रेक्टर अटैचमेन्ट एवं पार्ट्स अनुसूची-II की क्र0सं0 125 की प्रविष्टि के अन्तर्गत आच्छादित है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रविष्टि में केवल ट्रेक्टर, ट्रेक्टर ट्राली, हार्वेस्टर्स एवं अटैचमेन्ट्स तथा उनके पार्ट्स; ट्रेक्टर टायर्स एवं ट्यूब्स आच्छादित हैं। ट्रेक्टर एसेसरीज उपरोक्त प्रविष्टि में आच्छादित नहीं है। शेष मामलों में उत्तर दिया कि कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.16.3 समाधान राशि का कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 10.72 करोड़ के भुगतान पर छः प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.09 लाख की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के भुगतान के स्थान पर समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। विज्ञप्ति सं0 1278 दिनांक 9 जून 2009 द्वारा सिविल एवं इलेक्ट्रिकल संविदाकारों हेतु शासन द्वारा लायी गयी समाधान योजना के अनुसार, यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य की धनराशि के पाँच प्रतिशत तक आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि दो प्रतिशत की दर से आगणित होगी और यदि कोई संविदाकार पाँच प्रतिशत से अधिक प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि की गणना छः प्रतिशत की दर से की जायेगी।

हमने दो खण्डों में कर निर्धारण आदेशों, आयातित माल के उपभोग विवरण एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 294 व्यापारियों में से दो सिविल संविदाकारों ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 1.14 करोड़ मूल्य का आयातित माल संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किया जो कि संविदागत धनराशि ₹ 10.72 करोड़ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूँकि कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त आयातित माल वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक था, अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 64.34 लाख समाधान राशि आरोपणीय थी। जबकि क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2013 एवं अप्रैल 2013 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय दो प्रतिशत की दर से ₹ 26.25 लाख की समाधान राशि आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.09 लाख की कम समाधान राशि का आरोपण हुआ।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि दोनों मामलों में कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.17 अर्थदण्ड का अनारोपण

दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों के दुराशय पूर्ण क्रिया-कलापों को हतोत्साहित करने के लिये बनाये गये हैं। क0नि0प्रा0 कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों जैसे-टर्नओवर का छिपाया जाना, स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना, मिथ्यापूर्ण घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किया जाना इत्यादि, पर

ध्यान नहीं दिया। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप छः ज्वा०कमि०(का०स०) और 35 खण्डों के 58,298 व्यापारियों में से नमूना जाँच किये गये 8,556 व्यापारियों में से 82 व्यापारियों के मामलों में, 2008-09 से 2013-14 की अवधि में ₹ 114.82 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है।

### 2.3.17.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

**₹ 25.77 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर पर क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण करते समय ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड नहीं आरोपित किया गया था।**

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54 (1)(2) के अन्तर्गत जहाँ व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझ कर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या संदाय कर जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी हो, अपवंचन किया हो तो क०नि०प्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह, उसके द्वारा देय कर यदि कोई हो, के साथ-साथ, छिपायी गयी या परिवर्जित की गई कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने चार ज्वा०कमि०(का०स०) और 14 खण्डों के कर निर्धारण आदेशों, कर निर्धारण पत्रावलियों, व्यापारियों द्वारा जमा स्वीकृत कर तथा वाणिज्य कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,296 व्यापारियों में से 24 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 25.77 करोड़ का क्रय एवं विक्रय का टर्नओवर छिपाया। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2012 और मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 82.67 लाख का कर आरोपित किया। यद्यपि कि सात मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने टर्नओवर छिपाया था एवं शेष मामलों में व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार किया एवं छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर को जमा कर दिया, सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने न तो ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारणों को अंकित किया, जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने कहा कि तीन मामलों में ₹ 4.77 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं शेष मामलों में कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.17.2 गलत घोषणा पत्र दाखिल किया जाना

**क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय जाली घोषणापत्रों को दाखिल किये जाने के लिए ₹ 3.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।**

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(i) (सपठित के०बि०क० अधिनियम की धारा 9) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी अथवा व्यक्ति जैसा प्रकरण हो, मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है जिसके कारण बिक्री या खरीद पर कर आरोपणीय होने से रह जाता है तो वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को निर्देश दे सकता है, कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने मार्च 2015 में खण्ड 2 मिर्जापुर में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 91 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने फार्म 'एफ'

में घोषणा के विरुद्ध ₹ 6.44 करोड़ के माल की कन्साइनमेंट बिक्री पर कर मुक्ति का दावा किया था। क0नि0प्रा0 द्वारा सत्यापन पर ये फार्म जाली पाये गये। क0नि0प्रा0 ने जुलाई 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कर मुक्ति को अस्वीकार कर दिया और ₹ 24.40 लाख का कर आरोपित कर दिया लेकिन न तो ₹ 3.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण अंकित किया।

### 2.3.17.3 संकर्म संविदा कर का विलम्ब से जमा किया जाना

संविदाकारों को भुगतान करते समय, स्रोत पर की गई कर की कटौती ₹ 1.86 करोड़ को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा न किये जाने पर क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों पर ₹ 3.72 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34 (8) सपटित धारा 34 (1) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति काटी गई धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करे।

हमने आठ खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,459 व्यापारियों में से 10 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 1.86 करोड़ संकर्म संविदा कर (सं0सं0क0) की कटौती की लेकिन उसे निर्धारित समय के अन्दर सरकारी कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से दो वर्ष 20 दिनों तक की थी। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 3.72 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण ही अंकित किया।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने बताया कि एक मामले में ₹ 19.84 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं शेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.17.4 स्वीकार किये गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

बिना युक्तियुक्त कारण के ₹ 5.56 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को निर्धारित समय के अन्दर जमा करने में असफल रहने पर क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण के समय ₹ 1.11 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निश्चित अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में देय कर जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो तो, वह कर के साथ-साथ ऐसे देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड अदा करे। क0वा0क0 ने परिपत्र दिनांक 23 अप्रैल 2002 और 1 मई 2013 द्वारा निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों में जहाँ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाता है क0नि0प्रा0 को अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने हेतु सकारण आदेशों को अंकित करना चाहिए।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0)-I गाजियाबाद और 24 खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,689 व्यापारियों में से

40 व्यापारियों ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि में ₹ 5.56 करोड़ का अपना स्वीकार किया गया कर समय के अन्दर जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से दो वर्ष 11 माह 17 दिनों के बीच की थी। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 1.11 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण ही अंकित किया, जैसा कि क0वा0क0 द्वारा निर्देशित था। विवरण परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

### 2.3.17.5 बिना घोषणा पत्र के माल का आयात

बिना आयात घोषणा पत्र का प्रयोग किये ₹ 259.60 करोड़ के माल का आयात करने पर क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 103.60 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली का नियम 56 प्रान्त के बाहर किसी भी स्थान से प्रान्त के अन्दर माल का आयात करने हेतु आयात घोषणा पत्र (प्रपत्र XXXVIII) जारी एवं दाखिल किया जाना प्राविधानित करता है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(14) के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, ऐसे माल के विक्रय या ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित, प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल के विक्रय पर संदाय कर के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या 51 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या आयात करने का दुष्प्रेरण करता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कर योग्य माल का परिवहन करता है या परिवहन करने का प्रयास करता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को माल के मूल्य के 40 प्रतिशत की धनराशि, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

हमने मार्च 2015 में ज्वा0कमि0 (का0स0) गोरखपुर के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 83 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2010-11 में ₹ 259.60 करोड़ का गेहूँ, बिना प्रपत्र XXXVIII में घोषणा पत्र को जारी किये आयात किया था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय बिना आयात घोषणा प्रपत्र के माल का आयात करने पर न तो ₹ 103.60 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही इसके लिए कोई कारण अंकित किया, जबकि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के कर निर्धारण आदेशों में क0नि0प्रा0 ने स्वयं ही खातापालकों को अर्थदण्ड की नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।

इसी प्रकार के मामले पूर्व में भी वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमारे द्वारा इंगित किये गये थे। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया था एवं ₹ 822.19 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया था, लेकिन इस प्रकार की अनियमिततायें अब भी विद्यमान हैं।

### 2.3.17.6 कर का अधिक संग्रहण

व्यापारियों ने अपनी कर देयता से ₹ 22.99 लाख के अधिक कर का संग्रहण किया था। हालांकि, क0नि0प्रा0 ने कर के अधिक संग्रहण हेतु ₹ 68.97 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(16) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यापारी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर के रूप में वसूली की है तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी वसूले गये कर के

साथ-साथ इस प्रकार वसूले गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने तीन ज्वा0कमि0 (का0स0) और दो खण्डों में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 442 व्यापारियों में से छः व्यापारियों ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 22.99 लाख की अधिक धनराशि कर के रूप में प्रभारित/वसूली किया था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2013 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कर के रूप में अधिक वसूल की गयी धनराशि को तो जब्त कर लिया परन्तु न तो ₹ 68.97 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण ही अंकित किया।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने कहा कि यद्यपि अर्थदण्ड आरोपण अनिवार्य नहीं है हालांकि, प्रस्तर 2.3.17.2 तथा प्रस्तर 2.3.17.4 से प्रस्तर 2.3.17.6 के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के समय विवरणियों की उचित जांच किया जाना सुनिश्चित कर सकता है।

### 2.3.18 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के दायी प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पूर्व ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कर देना चाहिए, असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम देय तिथि के अगले दिन से लेकर ऐसी धनराशि के भुगतान की तिथि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होता है।

#### 2.3.18.1 बैंक गारन्टी के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने ₹ 2.55 करोड़ की बैंक गारन्टी का नकदीकरण कराया और बिना ₹ 86.06 लाख का ब्याज प्रभारित किये, इसे देय कर के विरुद्ध समायोजित कर दिया।

हमने खण्ड 1 इलाहाबाद में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 31 व्यापारियों में से एक व्यापारी के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतिम आदेश के पश्चात क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 2.55 करोड़ की बैंक गारन्टी का नकदीकरण करा कर राजकीय कोषागार में जमा कर दिया गया था। यद्यपि कि ₹ 2.55 करोड़ का स्वीकार किया गया कर देय तिथि से दो वर्ष तीन माह के विलम्ब के पश्चात जमा किया गया था, क0नि0प्रा0 ने मई 2012 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय राजकीय खाते में बिलम्ब से जमा पर ब्याज प्रभारित नहीं किया। स्वीकार किये गये कर के राजकीय कोषागार में विलम्बित जमा से ₹ 86.06 लाख का ब्याज प्रभारणीय था, जो कि क0नि0प्रा0 द्वारा प्रभारित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.06 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.18.2 स्वीकार किये गये कर के विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 6.21 करोड़ का स्वीकार किया गया कर बिना ब्याज के, विलम्ब से जमा किया। क०नि०प्रा० ने विवरणियों की संवीक्षा करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और ₹ 53.52 लाख का ब्याज प्रभारित करने में असफल रहे।

हमने पाँच ज्वा०कमि० (का०स०) और चार खण्डों में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,210 व्यापारियों में से 16 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए अपने स्वीकार किये गये कर ₹ 6.21 करोड़ को 11 दिनों से लेकर छः वर्ष चार माहों तक के विलम्ब से जमा किया था। स्वीकार किये गये कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 53.52 लाख का ब्याज प्रभारणीय था। क०नि०प्रा० ने सितम्बर 2011 और मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.52 लाख के ब्याज का प्रभारण नहीं हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-VII में दिखाया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि दो मामलों में ₹ 23,000 के ब्याज की वसूली कर ली गई है और शेष मामलों में कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.18.3 त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र के कारण कम ब्याज का प्रभारित किया जाना

क०नि०प्रा० द्वारा त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण ₹ 17.12 लाख का कम ब्याज प्रभारित हुआ।

हमने तीन खण्डों में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 538 व्यापारियों में से पाँच व्यापारियों के मामलों में क०नि०प्रा० ने मई 2013 और जनवरी 2015 के मध्य वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय स्वीकार की गयी बिक्री पर कर आरोपित किया। हालांकि, व्यापारियों ने कर को समय से जमा नहीं किया, इस विफलता पर क०नि०प्रा० ने ₹ 30.68 लाख के स्वीकार किये गये कर की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया और माँग पत्र की प्राप्ति की तिथि से कर जमा करने की तिथि तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की माँग की। स्वीकार किये गये कर पर देय तिथि से जमा करने तिथि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की माँग की जानी चाहिए थी। वसूली प्रमाण पत्र के निर्गमन में इस चूक के कारण ₹ 17.12 लाख का ब्याज कम प्रभारित हुआ।

समापन गोष्ठी के समय शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.19 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के०पं०प्र०प०) में सीमेंट/स्टील की खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

क०नि०प्रा० ने विद्युत के निर्माण में संलग्न व्यापारी को फैंक्ट्री के भवन निर्माण हेतु आयरन, स्टील एवं सीमेंट की खरीद के लिए के०पं०प्र०प० में अनियमित रूप से अधिकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 93.73 लाख तक का अनुचित लाभ हुआ।

के०बि०क० अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत

पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता को पंजीकृत करेगा एवं विहित प्रपत्र में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को विनिर्दिष्ट करेगा जो उसके द्वारा, पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा इस विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूर संचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है।

पुनश्च, कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी क0नि0प्रा0 को परिपत्र सं0 17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देश जारी किया था (1992) कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0) गौतमबुद्ध नगर के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 58 व्यापारियों में से एक व्यापारी को कच्चे माल की खरीद हेतु के0पं0प्र0प0 प्रदान किया गया था जिसमें सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री का क्रय शामिल था। व्यापारी ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान ₹ 7.17 करोड़ की सीमेंट एवं स्टील की रियायती दर से खरीद की और इसे फैक्ट्री के निर्माण में प्रयोग किया। चूँकि व्यापारी विद्युत के उत्पादन के कार्य में संलग्न थे, आयरन, स्टील और सीमेंट इसके निर्माण में प्रयोग के लिए कच्चा माल नहीं था। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा केवल उन माल को क्रय करने के लिए है जिसका उपयोग उस माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जाये जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0पं0प्र0प0 में आयरन, स्टील एवं सीमेंट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना, अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के दिनांक 4 दिसम्बर 1992 के आदेश के भी विरुद्ध था। क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कमिश्नर वाणिज्य कर के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप व्यापारी को ₹ 93.73 लाख का अनुचित लाभ मिला।

समान प्रकृति के प्रकरण, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (प्रस्तर 2.15.1) एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 प्रस्तर (2.23) में प्रतिवेदित किये गये थे, यद्यपि विभाग द्वारा के0पं0प्र0प0 से सीमेंट को हटाने के लिए आश्वासन दिया गया था फिर भी ये अनियमिततायें अभी भी विद्यमान हैं।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि कार्यवाही की जा रही है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

### 2.3.20 कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में कमियाँ

विभाग का कम्प्यूटरीकरण पर्याप्त नहीं था क्योंकि प्रान्त के व्यापारियों के संव्यवहारों का दूसरे प्रान्त के व्यापारियों के संव्यवहारों से सत्यापन सम्भव नहीं था, आई0टी0सी0 माड्यूल यथार्थपरक नहीं थे और इन्ट्रानेट की गति धीमी थी जिसका क0नि0प्रा0 के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिस्टम के माड्यूल जैसे प्राप्ति, पंजीयन, विवरणी, चालान, कर निर्धारण, प्रशासन एवं हेलपडेस्क इत्यादि के अध्ययन से यह पता चला कि:

- किसी व्यापारी के संव्यवहारों के विवरणों का दूसरे प्रान्त के पंजीकृत व्यापारियों के संव्यवहारों से सत्यापन करने के लिए सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारी को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं थी।



- आईटीसी के दावों को अनुमन्य करने एवं कर बीजकों के विरुद्ध की गयी बिक्री की धनराशि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा की गई सभी खरीद एवं बिक्री सत्यापित हो। वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन ब्यास सिस्टम में संव्यवहारों का शत-प्रतिशत सत्यापन संभव नहीं था क्योंकि ₹ 50 लाख या इससे अधिक टर्नओवर के व्यापारी ही इस सिस्टम में ई-रिटर्न दाखिल कर रहे थे।
- व्यापारियों द्वारा डाटा अपलोडिंग के समय डाटा में एकरूपता की कमी के कारण खरीद एवं बिक्री के आँकड़ों में मेल नहीं था।
- यद्यपि नोटिसों एवं कर निर्धारण आदेशों को ऑनलाइन निर्गत करने की सुविधा थी लेकिन इसकी विधिक स्वीकार्यता नहीं थी। इसलिए इसे मैनुअली भी भेजना अपेक्षित था जिसके फलस्वरूप कार्यों की द्विरावृत्ति हुई।
- डाटा के अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग के समय इन्टरनेट की धीमी गति ने कर निर्धारण के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

क0नि0प्रा0 लेखापरीक्षा के विचार से सहमत थे। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की कमजोरियाँ राजस्व के रिसाव के साथ क0नि0प्रा0 की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित करती हैं।

समापन गोष्ठी के समय शासन/विभाग ने बताया कि किसी व्यापारी के संव्यवहारों के विवरणों का दूसरे प्रान्त के पंजीकृत व्यापारियों के संव्यवहारों के विवरण से सत्यापन कराने की सुविधा, राज्य के विभाग के साथ-साथ दूसरे राज्यों द्वारा व्यापारियों के सभी संव्यवहारों के विवरण के अपलोड न किये जाने के कारण उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया कि डाटा के भरने हेतु विहित प्रारूप की अनुपलब्धता के कारण खरीद एवं बिक्री के आँकड़ों में मेल नहीं था।

### 2.3.21 मानव संसाधन प्रबन्धन

#### 2.3.21.1 मानवशक्ति की कमी

2010-11 से 2014-15 के दौरान डि0कमि0, असि0कमि0 और वा0क0अ0 के संवर्ग में 10.93 प्रतिशत से 68.78 प्रतिशत तक की भारी कमी से विभागीय कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ।

मानवशक्ति की उपलब्धता, विभाग की आसान एवं दक्ष कार्य प्रणाली के लिए मूलभूत कारक है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि यद्यपि लेखापरीक्षा से आच्छादित अवधि में कर निर्धारितों की संख्या 5,94,695 से बढ़कर 6,98,997 हो गयी थी, फिर भी मानवशक्ति की अत्यन्त कमी थी। विभाग में मानवशक्ति की स्थिति सारणी 2.9 में दिखायी गयी है।

#### सारणी 2.9

##### मानवशक्ति की कमी

पद	स्वीकृत पद	तैनाती की स्थिति					कमी की प्रतिशतता (न्यूनतम-अधिकतम)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
एडीशनल कमिश्नर	98	93	56	86	83	97	1.02-42.86
ज्वाइंट कमिश्नर	157	155	138	151	114	147	1.27-27.39
डिप्टी कमिश्नर	494	419	368	375	289	440	10.93-41.50
असिस्टेण्ट कमिश्नर	964	382	599	631	501	628	34.54-60.37
वाणिज्य कर अधिकारी	1,275	507	398	647	423	486	49.25-68.78
अराजपत्रित कर्मचारी	12,271	9,785	8,664	7,859	8,738	7,079	20.26-42.31

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

सारणी से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में 10.93 प्रतिशत से 68.78 प्रतिशत के मध्य भारी कमी थी, जिसने विभागीय कार्य प्रणाली एवं राजस्व उत्पादन को प्रभावित किया जैसा कि प्रस्तर 2.3.15 एवं 2.3.16 में दिखाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि खाली पदों के भरे जाने की कार्यवाही चल रही है।

शासन स्वीकृत पदों के अनुसार मानवशक्ति की तैनाती हेतु विचार कर सकता है।

### 2.3.21.2 प्रशिक्षण

2010-11 से 2013-14 के दौरान 799 व्यक्तियों को एक दिन एवं 304 व्यक्तियों को दो दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। एक वर्ष में केवल एक या दो दिन का प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को प्रशिक्षित करने/कौशल उन्नयन हेतु पर्याप्त नहीं हो सकता।

विभाग में योग्यता निर्माण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। आवधिक प्रशिक्षण देकर कर्मचारियों की कुशलता एवं योग्यता में सुधार किया जा सकता है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों और प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों का विवरण सारणी 2.10 में दिया गया है।

सारणी 2.10

#### कर्मचारियों के प्रशिक्षण की स्थिति

पद नाम	वर्ष									
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
डिप्टी कमिश्नर	419	06	368	00	375	15	289	00	440	00
असिस्टेंट कमिश्नर	382	15	599	101	631	140	501	98	628	102
वाणिज्य कर अधिकारी	507	21	398	00	647	58	423	191	486	59
संवर्ग कर्मचारी	9,785	17	8,664	00	7,859	00	8,738	66	7,079	00

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 799 व्यक्तियों को केवल एक दिन और 304 व्यक्तियों को दो दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। एक वर्ष में केवल एक या दो दिन का प्रशिक्षण किसी कर्मचारी के कौशल में उन्नयन हेतु पर्याप्त नहीं हो सकता।

समापन गोष्ठी के समय शासन/विभाग द्वारा कहा गया कि नये कर्मचारियों एवं कार्यरत वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपने उत्तर के समर्थन में आयोजित किये गये कार्यक्रमों की संख्या एवं प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों की संख्या का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवधिक रिफ्रेशर कोर्स/वैट प्रशासन और कम्प्यूटरीकरण पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए शासन विचार कर सकता है।

### 2.3.22 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण वैधानिक प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को व्यवस्थित रूप से लागू कराने में तर्कपूर्ण आश्वासनों को उपलब्ध कराने के लिए माना जाता है। आन्तरिक

नियंत्रण त्वरित एवं प्रभावी सेवाओं तथा कर एवं शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध समुचित सुरक्षा के लिए वित्तीय एवं प्रबन्धन सूचना की विश्वसनीय प्रणाली को सृजन करने में भी मदद करता है। अतः यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है कि एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना स्थापित है तथा उसे प्रभावी बनाने हेतु समय-समय पर समीक्षा एवं सुधार किया जाता है।

### 2.3.22.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में मानवशक्ति की कमी

लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद रिक्त पड़े हुए थे तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों के पदों में 56 से 74 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा क0वा0क0 के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में कोई लेखापरीक्षा अधिकारी तैनात नहीं था। 13 लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं 91 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 28 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों की तैनाती थी, जैसा कि सारणी 2.11 में वर्णित है।

सारणी 2.11

#### आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में मानवशक्ति की कमी

वर्ष	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद		कमी का प्रतिशत	
	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक
2010-11	13	91	0	40	13	51	100	56
2011-12	13	91	0	34	13	57	100	63
2012-13	13	91	0	24	13	67	100	74
2013-14	13	91	0	31	13	60	100	66
2014-15	13	91	0	28	13	63	100	69

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद खाली पड़े हुए थे एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के पदों में 56 से 74 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि खाली पड़े हुए पदों को प्रोन्नति एवं सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

### 2.3.22.2 खण्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

2010-11 से 2014-15 के दौरान विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गयी खण्डों की लेखापरीक्षा का विवरण सारणी 2.12 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.12

#### खण्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	खण्डों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयाँ	लेखा परीक्षित इकाईयाँ की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2010-11	436	436	386	11
2011-12	436	436	198	55
2012-13	436	436	65	86
2013-14	437	437	18	96
2014-15	437	23	21	09

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

यह दर्शाता है कि खण्डों की लेखापरीक्षा के लिये आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य नौ

से 96 प्रतिशत तक की कमी रही। अग्रेतर, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 36 खण्डों में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग द्वारा कहा गया था कि 80 प्रतिशत मानवशक्ति की कमी के कारण ज्यादातर खण्डों की लेखापरीक्षा सम्भव नहीं हो पा रही है।

रिक्त पड़े पदों को भर कर वैट प्रशासन के प्रभावकारी परिचालन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन विचार कर सकता है।

### 2.3.22.3 अवशेष प्रस्तारों तथा उनकी वसूली की स्थिति

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाये गये प्रस्तारों का निस्तारण न किये जाने के कारण मामलों की संख्या एवं उसमें निहित धनराशि वर्षानुवर्ष संचित हो रही थी। 2010-11 से 2014-15 के दौरान वसूली का प्रतिशत अत्यन्त कम 0.03 प्रतिशत से 2.58 प्रतिशत के मध्य था।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों, उनका अनुपालन तथा वसूली का विवरण सारणी 2.13 में दिया गया है।

#### सारणी 2.13

#### अवशेष प्रस्तारों एवं उनकी वसूली की स्थिति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जुड़े मामले		वर्ष के दौरान निस्तारित मामले एवं उनकी वसूली		निस्तारित मामलों एवं वसूली की प्रतिशतता		अन्तिम शेष	
	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि
	2010-11	6,626	5,697.55	2,226	1,486.28	346	185.65	3.91	2.58	8,506
2011-12	8,506	6,998.18	1,546	1,373.28	344	171.39	3.42	2.05	9,708	8,200.07
2012-13	9,708	8,200.07	1,241	35,017.21	130	15.11	1.19	0.03	10,819	43,202.17
2013-14	10,819	43,202.17	552	897.44	278	182.57	2.44	0.41	11,093	43,917.04
2014-15	11,093	43,917.04	529	749.65	394	153.78	3.39	0.34	11,228	44,512.91

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि मामलों की संख्या और इन मामलों में निहित धनराशि वर्षानुवर्ष संचित हो रही थी।

2010-11 से 2014-15 के दौरान वसूली का प्रतिशत अत्यन्त कम 0.03 प्रतिशत से 2.58 प्रतिशत के मध्य था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत हुए और कहा कि मामलों के निस्तारण और उनकी वसूली में तेजी लाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

### 2.3.23 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान हमें निम्नलिखित बिन्दुओं का पता चला :

- अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने एवं ₹ 289.82 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा।

**अनुशंसा:** शासन अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान करने के उद्देश्य से अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान हेतु तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान विकसित करने के लिये विचार कर सकता है।

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद पारित न किये जाने के फलस्वरूप वर्ष के अंतिम माहों में 6,042 से लेकर 1,84,052 वाद कर निर्धारण हेतु अवशेष थे। उसके कारण शासन को 2010-11 से 2014-15 के दौरान कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए तीन बार एक माह से लेकर तीन माह तक समयावधि का विस्तार करना पड़ा। इससे आगामी वर्षों के कर निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ता है।

**अनुशंसा:** शासन निर्धारित समय के अन्दर कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।

- 2011-12 से 2014-15 के दौरान पाँच प्रतिशत के मानक के सापेक्ष 0.27 से 0.44 प्रतिशत व्यापारियों का बहुत कम प्रतिशत कर सम्परीक्षा हेतु चयन किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी कर सम्प्रेक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था।

**अनुशंसा:** कर सम्प्रेक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग को निर्धारित नमूना आकार का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए ताकि विभाग द्वारा स्वयं ही राजस्व क्षति के और अधिक मामले खोजे जायें तथा उनका सुधार किया जा सके।

- अधिक दावाकृत आईटी0सी0 की अनियमित अनुमन्यता, क्रय/विक्रय टर्नओवर का छिपाना, कर की गलत दर का लगाया जाना, वस्तुओं का गलत वर्गीकरण, आवर्त का छिपाया जाना, स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना, बिना घोषणा पत्रों के माल का आयात किया जाना, गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना आदि के कारण ₹ 128.28 करोड़ के राजस्व का रिसाव और अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

**अनुशंसा:** शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश को पारित करते समय विवरणियों की पर्याप्त जाँच सुनिश्चित कर सकता है।

- कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण खण्डों की अपर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षा की दृष्टि से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपूर्ण थी।

**अनुशंसा:** शासन वैट प्रशासन के प्रभावी परिचालन हेतु खाली पदों को भर कर आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु विचार कर सकता है।

## 2.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमारी 539 वाणिज्य कर कार्यालयों के 2,04,213 में से 87,400 कर निर्धारण आदेशों की जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को न अपनाये जाने, कर/अर्धदण्ड/ब्याज के न/कम आरोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के प्रकरण सहित अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तारों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये विभाग द्वारा प्रकाश में नहीं लाई गयीं।

## 2.5 कर का न/कम आरोपण

82 वाणिज्य कर कार्यालयों के 2007-08 (वैट) से 2012-13 की अवधि के लिये 11,425 में से 108 व्यापारियों के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयी थीं, समाधान शुल्क का कम आरोपण एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के अर्धदण्ड के साथ ₹ 7.23 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है:

### 2.5.1 उ0प्र0मू0सं0क0 के अन्तर्गत कर का न/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं, अनुसूची III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची IV में शामिल हैं, शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं एवं 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 3-क के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

#### 2.5.1.1 कर की गलत दर लगाये जाने से कर का न/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 40.01 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.93 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

हमने 68 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) में (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 9,855 में से 86 व्यापारियों के मामले में, क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य वर्ष 2007-08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011-2012 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 40.01 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल अपनी विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.93 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (जून 2013 एवं जुलाई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं 10 मामलों में ₹ 77.71 लाख कर आरोपित कर दिया जिसमें से ₹ 1.02 लाख वसूल किया जा चुका है। एक मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि वस्तु धातु की कास्टिंग है जो वैट अधिनियम की अनुसूची II से आच्छादित है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वस्तु कास्टिंग से बनी मशीनरी पार्ट्स है जो वैट अधिनियम के अनुसूची V से आच्छादित है तथा एक अन्य मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि सामग्री प्रदूषण उपकरण है जो कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है तथा यह वैट अधिनियम की अनुसूची II में वर्गीकृत है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि निर्मित कैनोपी डी0जी0 सेट की एसेसरी है जो कि ध्वनि प्रदूषण यन्त्र में आच्छादित नहीं है क्योंकि न तो यह स्वतंत्र रूप से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये प्रयोग में लायी जाती है और न ही प्रदूषण नियंत्रण प्लांट में प्रयोग की जाती है। यह विशिष्ट रूप से डी0जी0 सेट में प्रयोग की जाती है एवं यह वर्गीकृत नहीं है। अन्य मामलों के लिए विभाग ने कहा कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.5.1.2 माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर का न/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 66.79 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण कर अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ।

हमने नौ वा0क0का0 में (जुलाई 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 883 में से 11 व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने मई 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 66.79 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण करते हुये अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ का कम कर आरोपित हुआ जैसा कि परिशिष्ट-IX में वर्णित है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.5.1.3 गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 34.20 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.24 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 28 एवं उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 9(4) के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 की यह जिम्मेदारी है कि व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों/अभिलेखों की जाँच करते समय तथा कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय देखें कि सभी करों को सही आरोपित किया गया है एवं सभी गणना सही की गयी है।

हमने पाँच वा0क0का0 में (मई 2013 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 749 में से पाँच व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य वर्ष 2008-09 से 2012-13 की

अवधि के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करते समय ₹ 34.20 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.24 लाख कर का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी 2.14 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.14

गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1	डि०कमि० खण्ड 7 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	3,208.76	1	32.09	27.09	5.00
2	डि०कमि० खण्ड 9 कानपुर	1	2012-13 (मार्च 2014)	78.70	2	1.57	0.57	1.00
3	डि०कमि० खण्ड 18 लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	90.53	12.5	11.32	1.32	10.00
4	डि०कमि० खण्ड 6 नोएडा	1	2010-11 (मार्च 2014)	5.35	13.5	0.72	0.07	0.65
5	डि०कमि० खण्ड 2 वाराणसी	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	36.66	12.5	4.58	3.99	0.59
<b>योग</b>		<b>5</b>		<b>3,420.00</b>		<b>50.28</b>	<b>33.04</b>	<b>17.24</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2013 एवं अक्टूबर 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं तीन मामलों में ₹ 1.65 लाख का कर आरोपित कर दिया। अवशेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.5.1.4 उ०प्र०मू०सं०क० के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक सिविल संविदाकार द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये प्राप्त भुगतान ₹ 4.73 करोड़ पर लागू छः प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत से समाधान राशि स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.05 लाख की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत सिविल संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को लागू की गयी समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित ठेके की धनराशि का पाँच प्रतिशत तक प्रान्त के बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो समाधान राशि की दर दो प्रतिशत होगी तथा यदि कोई संविदाकार पाँच प्रतिशत के ऊपर प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है तो समाधान राशि की दर वित्तीय वर्ष के दौरान संविदाकार द्वारा निष्पादित ठेकों के विरुद्ध प्राप्त भुगतान का छः प्रतिशत होगी।

हमने डि०कमि० खण्ड 2, सुल्तानपुर कार्यालय में कर निर्धारण आदेश, प्रान्त बाहर की वस्तुओं के उपयोग का विवरण एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की और पाया कि एक संविदाकार ने संकर्म संविदा के निष्पादन में ₹ 97.75 लाख की आयातित वस्तुओं का प्रयोग किया जो वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान निष्पादित संविदागत राशि ₹ 4.73 करोड़ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूंकि संकर्म संविदा के निष्पादन में आयातित वस्तुओं का प्रयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक था अतः समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार छः प्रतिशत की दर से ₹ 28.37 लाख की समाधान राशि आरोपणीय थी। तथापि, मार्च 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय क०नि०प्रा० ने ₹ 15.32 लाख (₹ 4.73 करोड़ पर दो प्रतिशत



की दर से तथा ₹ 97.25 लाख पर छः प्रतिशत की दर से) समाधान राशि आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.05 लाख कम समाधान राशि का आरोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.5.1.5 उ0प्र0व्या0क0 के अन्तर्गत समाधान शुल्क का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय लागू दर के बजाय निम्नतर दर से समाधान राशि स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.51 लाख समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 7 घ के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के बदले में समाधान राशि का भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। सिविल संविदाकारों के लिए 15 फरवरी 2005 से समाधान राशि की गणना विज्ञप्ति सं0 के0ए0एन0आई0-2-362/ग्यारह-2005 दिनांक 11 फरवरी 2005 के अन्तर्गत दो प्रतिशत की दर से की जायेगी। विद्युत संविदाकारों के लिए 1 फरवरी 2005 से विज्ञप्ति सं0 के0ए0एन0आई0-2-271-X दिनांक 2 फरवरी 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि की गणना दो प्रतिशत की दर से की जायेगी। यदि कोई विद्युत संविदाकार प्रपत्र 'सी' अथवा आयात घोषणा पत्र फार्म XXXI का प्रयोग करता है तो समाधान राशि की गणना चार प्रतिशत की दर से की जायेगी।

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों में (दिसम्बर 2013) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 232 व्यापारियों में से दो संविदाकारों ने वर्ष 2008-09 के दौरान संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए ₹ 27.02 करोड़ प्राप्त किये। इसमें से ₹ 4.12 करोड़ पर संविदाकारों ने सिविल संविदा के लिए सही दर दो प्रतिशत से तथा ₹ 3.19 करोड़ पर विद्युत संविदा के लिए सही दर चार प्रतिशत से समाधान राशि अदा नहीं किया था जबकि ये संविदायें उ0प्र0व्या0क0 अवधि के साथ-साथ विज्ञप्ति के तिथि के बाद की तिथि से सम्बन्धित थीं। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मई 2012 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय लागू दर के बजाय कम दर से समाधान राशि स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.51 लाख समाधान राशि का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी 2.15 में दर्शाया गया है।

#### सारणी 2.15

#### उ0प्र0व्या0क0 के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

(₹ लाख में)									
क0 स0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वर्ष के दौरान निष्पादित ठेके से प्राप्त सकल धनराशि	धनराशि जिस पर कम समाधान राशि आरोपित किया गया	आरोपणीय समाधान राशि (प्रतिशत में)	आरोपित समाधान राशि (प्रतिशत में)	कम आरोपित समाधान राशि (प्रतिशत में)	कम आरोपित समाधान राशि
1	डि0 कमि0 खण्ड 14 गाजियाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	2,164.00	411.87	2	1	1	4.12
2	डि0 कमि0 खण्ड 25 कानपुर	1	2008-09 (मई 2012)	538.40	319.37	4	2	2	6.39
<b>योग</b>		<b>2</b>		<b>2,702.40</b>	<b>731.24</b>				<b>10.51</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

## 2.5.2 रियायती दर पर डीजल खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय फार्म 'डी' के विरुद्ध ₹ 4.78 करोड़ के डीजल के क्रय पर ₹ 58.41 लाख की छूट अनुमन्य किया जो कि अनुमन्य नहीं थी जिसके फलस्वरूप ₹ 58.41 लाख के कर का कम आरोपण एवं वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 4(1)(ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अनुसूची IV की प्रविष्टि सं0 4(ख) के अनुसार डीजल पर 29 जनवरी 2009 से 17.23 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है एवं अनुसूची IV की प्रविष्टि सं0 4(क) के अनुसार नान-वैट माल के अतिरिक्त किसी कर योग्य माल का निर्माता शासन की विज्ञप्ति सं0-2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा 30 सितम्बर 2008 से फार्म डी के विरुद्ध रियायती दर पाँच प्रतिशत की दर पर डीजल खरीदने के लिए हकदार है।

यह न्यायिक (एस0टी0आई0 2000 एस0सी0 53, उत्तर प्रदेश बनाम मेसर्स लाल कुआं स्टोन क्रसर प्रा0लि0) रूप से निर्णीत है कि बड़े पत्थरों को गिट्टी अथवा चूर्ण में बदलना निर्माण नहीं है।

अग्रेतर उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(11)(i) के अनुसार यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण से विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने तीन वा0क0का0 में (सितम्बर 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 348 में से तीन व्यापारियों ने ₹ 4.78 करोड़ के डीजल की फार्म 'डी' के विरुद्ध खरीद पर ₹ 58.41 लाख की कर की रियायत का दावा किया, जो कि अनुमन्य नहीं था क्योंकि न्यायिक रूप से बड़े पत्थरों को गिट्टी एवं चूर्ण में बदलना निर्माण नहीं माना गया है। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2011 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय रियायत अनुमन्य किया जिसके फलस्वरूप ₹ 58.41 लाख के कर का कम आरोपण एवं वस्तु के मूल्य का 50 प्रतिशत की दर से ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ। विवरण सारणी 2.16 में दर्शाया गया है।

### सारणी 2.16

#### डीजल खरीद के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)								
क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य आवर्त	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	अनुमन्य अदेय लाभ की घनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	ज्वा0कमि0 (का0स0) झाँसी	1	2009-10 (मई 2012)	डीजल	87.39	17.23 / 5	10.69	43.70
			2010-11 (जून 2012)	डीजल	112.03	17.23 / 5	13.7	56.01
2	डि0कमि0 खण्ड 4 झाँसी	1	2009-10 (अक्टूबर 2012)	डीजल	34.53	17.23 / 5	4.22	17.27
			2010-11 (दिसम्बर 2012)	डीजल	51.80	17.23 / 5	6.34	25.90
3	डि0कमि0 खण्ड 6 झाँसी	1	2009-10 (सितम्बर 2011)	डीजल	93.73	17.23 / 5	11.46	46.86
			2010-11 (जुलाई 2012)	डीजल	98.19	17.23 / 5	12.00	49.09
<b>योग</b>		<b>3</b>			<b>477.67</b>		<b>58.41</b>	<b>238.83</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को नवम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं एक प्रकरण में ₹ 23.46 लाख का कर आरोपित कर दिया जबकि अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया था। अवशेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

## 2.6 अर्थदण्ड का अनारोपण

दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों के दुराशयपूर्ण क्रिया-कलापों को हतोत्साहित करने के लिए बनाये गये हैं। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों जैसे लेखों से बाहर संव्यवहार, कर का विलम्ब से जमा किया जाना, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि में 33 वा0क0का0 के 4,451 में से 45 व्यापारियों के प्रकरणों में ₹ 2.13 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है:

### 2.6.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये ₹ 94 लाख के टर्नओवर पर ₹ 17.73 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझ कर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर, यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ-साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने छः वा0क0का0 में (अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) व्यापारियों के अंतिम कर निर्धारण आदेश, व्यापारियों द्वारा जमा किया गया स्वीकृत कर एवं वाणिज्य कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,126 में से सात व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में अपने ₹ 94 लाख क्रय एवं बिक्रय के टर्नओवर को छिपाया था। चूँकि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया था अतः वे छिपाये गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड के दायी थे। क0नि0प्रा0 में मार्च 2012 एवं फरवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 5.91 लाख का कर आरोपित किया। यद्यपि दो<sup>5</sup> मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने (जून 2012 एवं जनवरी 2014 के मध्य) यह पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया/देय कर का भुगतान अपवंचित किया था अथवा व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार कर लिया था एवं हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया था, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 17.73 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण अंकित किया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (नवम्बर 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं एक मामले में

<sup>5</sup> डि0कमि0 खण्ड 19 आगरा, डि0कमि0 खण्ड 10 बरेली।

₹ 3.26 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया एवं दूसरे मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा छिपायी गयी बिक्री को नियमित पाया गया है परन्तु विभाग ने वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं कराया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.6.2 कर का विलम्ब से जमा होना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 6.34 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 1.26 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(1) के अन्तर्गत, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा या अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है तो वह व्यापारी को यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो कर के साथ-साथ अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि अदा करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 27 वा0क0का0 में (अगस्त 2013 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 3,404 में से 35 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 की अवधि के लिए अपने स्वीकार किये गये कर ₹ 6.34 करोड़ को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि चार दिनों से लेकर 1,303 दिनों की थी। चूँकि कर विलम्ब से जमा किया गया था जिसके लिये वे आरोपित कर के साथ-साथ देय कर के 20 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के भी दायी थे, जबकि क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 1.26 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया जैसा कि परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं 16 मामलों में ₹ 72.55 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.6.3 मिथ्या खरीद

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय बिना वस्तुओं की वास्तविक खरीद किये ₹ 1.37 करोड़ के कर बीजक प्राप्त करने पर आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी परन्तु ₹ 68.70 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(iv) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक या बिक्री बीजक प्राप्त करता है, तो वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने तीन वा0क0का0 में (सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 333 में से तीन व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 1.37 करोड़ के कर बीजक बिना वास्तविक खरीद किये प्राप्त किया था एवं आई0टी0सी0 का दावा किया था। चूँकि व्यापारियों ने

बिना वास्तविक खरीद किये आईटीसी का दावा किया था जिसके लिए वे वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जबकि क०नि०प्रा० ने अक्टूबर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आईटीसी उत्क्रमित कर दिया परन्तु ₹ 68.70 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी 2.17 में दर्शाया गया है।

#### सारणी 2.17

#### मिथ्या खरीद पर अर्थदण्ड का अनारोपण

					(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	बिना वास्तविक खरीद के प्राप्त विक्रय/कर बीजक से आच्छादित धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०कमि० खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	109.68	54.84
2	डि०कमि० खण्ड 8 मेरठ	1	2008-09 (अक्टूबर 2013)	15.27	7.63
3	डि०कमि० खण्ड 1 सहारनपुर	1	2010-11 (मार्च 2014)	12.47	6.23
योग		3		137.42	68.70

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.7 प्रवेश कर का न/कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय प्रवेश कर की दरों की अनुसूची में दी गयी सही दर लागू नहीं किया, कुछ मामलों में कोई प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया था, कुछ अन्य मामलों में निर्माता के द्वारा कम प्रवेश कर वसूला जाना एवं खरीद पर प्रवेश कर की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 25 वा०क०का० के 3,050 में से 34 व्यापारियों के मामलों में 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि में ₹ 2.76 करोड़ के प्रवेश कर का न/कम आरोपण के साथ-साथ ₹ 2.35 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में दर्शाया गया है:

#### 2.7.1 स्टॉक ट्रांसफर से प्राप्त माल पर प्रवेश कर का कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय राज्य के बाहर से स्टॉक ट्रांसफर से प्राप्त माल पर ऐसे मामलों में उसके बिक्रय मूल्य ₹ 1,906.94 करोड़ पर प्रवेश कर आरोपित करने के बजाय माल ₹ 1,751.34 करोड़ पर प्रवेश कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र० माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत परिभाषित (कुछ वस्तुओं को छोड़कर) आयरन एवं स्टील पर 'माल के मूल्य' के एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। अग्रेतर, उक्त अधिनियम की धारा 2 (एच)(iv) के अन्तर्गत, यदि माल को क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो तो वहाँ 'माल के मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए लाये या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक मूल्य पर विक्रय किये जाते हों।

हमने ज्वा०कमि० (का०स०) I कानपुर में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की (नवम्बर 2014) एवं पाया कि 98 में से दो व्यापारियों ने वर्ष 2010-11 के

दौरान ₹ 1,751.34 करोड़ का आयरन एवं स्टील राज्य के बाहर से खरीद से इतर तरीके (स्टॉक ट्रान्सफर) से प्राप्त किया जिस पर व्यापारियों द्वारा घोषित मूल्य पर प्रवेश कर आरोपित किया गया था। क०नि०प्रा० ने फरवरी एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य की जाँच नहीं की कि माल खरीद से इतर तरीके से अर्जित किया गया था जिस पर माल के विक्रय कीमत ₹ 1,906.94 करोड़ पर प्रवेश कर आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ कम प्रवेश कर आरोपित हुआ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को जनवरी 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

### 2.7.2 प्रवेश कर का न/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 81.64 करोड़ के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 1.16 करोड़ के बजाय ₹ 25.12 लाख प्रवेश कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.66 लाख प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ।

उ०प्र० माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। विज्ञप्ति सं०-422 दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार आयरन एवं स्टील पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था तथा उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा क्रय या विक्रय पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य थी।

हमने 13 वा०क०का० में (दिसम्बर 2013 एवं मई 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,591 में से 18 व्यापारियों ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 81.64 करोड़ का माल क्रय किया था, जिस पर ₹ 1.16 करोड़ प्रवेश कर आरोपणीय था। क०नि०प्रा० ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पाँच व्यापारियों के प्रकरणों में केवल ₹ 25.12 लाख प्रवेश कर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 90.66 लाख के प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (फरवरी 2014 एवं जुलाई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं एक मामले में ₹ 0.35 लाख प्रवेश कर आरोपित किया। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.7.3 निर्माताओं द्वारा प्रवेश कर का न/कम वसूल किया जाना

निर्माताओं ने प्रवेश कर वसूल करते समय वैट के घटक को टर्नओवर में शामिल नहीं किया था एवं कुछ मामलों में माल का परिदान करने के समय व्यापारियों से कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.55 लाख के प्रवेश कर की न/कम वसूली हुयी।

उ०प्र० माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 12 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को राज्य के भीतर, किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश

पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। पुनश्च विनिर्माता ऐसे माल की सुपुर्दगी क्रेता को तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे कर का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता। धारा 12 (2) इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को विहित रीति से जमा करने के लिए प्राविधानित करती है। अधिनियम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत जहाँ यदि कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह जैसा कि अधिनियम की धारा 12(5) में प्राविधानित है उस पर देय ब्याज और शास्ति सहित, कर का भुगतान करने का दायी होगा।

हमने चार वा0क0का0 में (जून 2013 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 569 में से छः व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 86.97 करोड़ (वैट सहित) के माल की बिक्री एवं परिदान स्थानीय क्षेत्र के बाहर के क्रेताओं को किया, जिस पर प्रवेश कर वसूली योग्य था। तीन मामलों में विनिर्माताओं ने प्रवेश कर की गणना करते समय ₹ 77.62 करोड़ के माल के मूल्य में ₹ 3.93 करोड़ के वैट के घटक को शामिल नहीं किया एवं शेष तीन मामलों में ₹ 41.98 लाख के टर्नओवर पर कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मई 2013 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.55 लाख के प्रवेश कर की न/कम वसूली हुई।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं दो मामलों में ₹ 1.42 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

#### 2.7.4 प्रवेश कर का न/कम वसूल किया जाना तथा निर्माताओं पर अर्थदण्ड का अनारोपण

एक मामले में निर्माता ने माल का परिदान करते समय वैट के घटक को टर्नओवर में शामिल किये बिना क्रेता से प्रवेश कर वसूल किया एवं शेष तीन मामलों में कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.39 लाख प्रवेश कर की कम वसूली एवं ₹ 30.73 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

हमने तीन वा0क0का0 में (फरवरी 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 335 व्यापारियों में से चार विनिर्माताओं ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 52.34 करोड़ के माल की बिक्री एवं परिदान स्थानीय क्षेत्र के बाहर के क्रेताओं को किया एवं एक मामले में वैट सहित सही टर्नओवर ₹ 49.05 करोड़ के बजाय ₹ 46.81 करोड़ के टर्नओवर पर (वैट को शामिल किये बिना) ₹ 93.62 लाख प्रवेश कर वसूल किया, जबकि ₹ 3.29 करोड़ के टर्नओवर पर कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया। पुनश्च यदि विनिर्माता कर वसूल करने व जमा करने में असफल रहता है, क0नि0प्रा0 निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे में वसूलनीय धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2010 एवं जून 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.39 लाख प्रवेश कर की न/कम वसूली एवं ₹ 30.78 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ जैसा कि सारणी 2.18 में वर्णित है।

सारणी 2.18

प्रवेश कर का न/कम वसूल किया जाना तथा निर्माताओं पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)										
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	प्रवेश कर की दर (प्रतिशत)	वसूलनीय प्रवेश कर की धनराशि	वसूली गयी प्रवेश कर की धनराशि	न वसूली गयी प्रवेश कर की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वा० कमि० (का०स०) गोरखपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2010)	गुटखा	53.66	5	2.68	0	2.68	5.36
			2009-10 (अप्रैल 2013)		90.38		4.52	0	4.52	9.04
		1	2009-10 (अप्रैल 2013)	पेपर	109.93	2	2.20	0	2.20	4.40
2.	डि० कमि० खण्ड 7 मेरठ	1	2009-10 (अप्रैल 2012)	पेपर	1,968.36	2	39.37	37.68	1.69	3.38
			2010-11 (मार्च 2013)		2,936.99	2	58.74	55.94	2.80	5.60
3.	डि० कमि० खण्ड 2 नोएडा	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	वाटर प्रूफ पेपर	38.33	2	0.77	0	0.77	1.54
			2011-12 (जून 2014)		36.74		0.73	0	0.73	1.46
<b>योग</b>		<b>4</b>			<b>5,234.39</b>		<b>109.01</b>	<b>93.62</b>	<b>15.39</b>	<b>30.78</b>

स्रोत: कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारियों की पत्रावलियों से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अप्रैल 2014 एवं जुलाई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.7.5 वसूले गये प्रवेश कर को विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विनिर्माताओं द्वारा वसूले गये ₹ 1.02 करोड़ प्रवेश कर को विलम्ब से जमा करने पर ₹ 2.04 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने दो वा०क०का० में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 262 व्यापारियों में से दो विनिर्माताओं ने ₹ 1.02 करोड़ प्रवेश कर स्थानीय क्षेत्र के बाहर के क्रेताओं से वसूला जिसे विहित समय के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से चार वर्षों की थी। क०नि०प्रा० ने मार्च 2014 एवं जुलाई 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया कि विनिर्माताओं ने वसूला गया प्रवेश कर विलम्ब से जमा किया था एवं ₹ 2.04 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहे जैसा कि सारणी 2.19 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.19

वसूले गये प्रवेश कर को विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण।

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	विलम्ब से जमा किया गया प्रवेश कर	विलम्ब की अवधि दिन में	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वा०कमि० (का०स०) I लखनऊ	1	2008-09 (जुलाई 2014)	गुटखा	26.06	1,460	52.12
			2011-12 (जून 2014)		68.35	365	136.70
2.	डि०कमि० खण्ड 1 रामपुर	1	2009-10 (मार्च 2014)	पेपर	5.83	05 से 11	11.66
			2010-11 (मार्च 2014)		1.57	07 से 40	3.14
<b>योग</b>		<b>2</b>			<b>101.81</b>		<b>203.62</b>

स्रोत: कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारियों की पत्रावलियों से उपलब्ध सूचना



हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.7.6 खरीद पर प्रवेश कर की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 3.65 करोड़ के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 5.44 लाख की अननुमन्य छूट मान्य की।

धारा 6 सपठित शासन की विज्ञप्ति दिनांक 4 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2011 के अनुसार व्यापारी को प्रवेश कर में वैट के अन्तर्गत खरीद अथवा बिक्री पर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर की पूर्ण धनराशि की छूट अनुमन्य है।

हमने दो वा0क0का0 में (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 210 में से दो व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 3.65 करोड़ के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 6.03 लाख प्रवेश कर अदा किया एवं ₹ 5.44 लाख की छूट का दावा किया। क0नि0प्रा0 जून 2012 में कर निर्धारण करते समय यह संज्ञान में लेने में असफल रहे, कि छूट अनुमन्य नहीं थी, क्योंकि एक मामले में खरीद विज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 2011 के पूर्व से सम्बन्धित की थी एवं दूसरे मामले में वस्तु की प्रकृति बदल गयी थी एवं इस प्रकार यह विज्ञप्ति दिनांक 4 मार्च 2008 की परिधि में नहीं थी। इस प्रकार क0नि0प्रा0 ने अनियमित रूप से ₹ 5.44 लाख के छूट का लाभ अनुमन्य किया जैसा कि सारणी 2.20 में वर्णित है।

#### सारणी 2.20

#### खरीद पर प्रवेश कर की अनियमित छूट

							(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	करयोग्य आवर्त	आरोपित प्रवेश कर	अनियमित छूट
1	ज्वा0कमि0 (का0स0) झाँसी	1	2008-09 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	306.00	3.06	3.06
2	डि0कमि0 खण्ड 10 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	ब्लैक चेक बुक एवं ग्लास	59.39	2.97	2.38
<b>योग</b>		<b>2</b>			<b>365.39</b>	<b>6.03</b>	<b>5.44</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (सितम्बर 2013 एवं अगस्त 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### केन्द्रीय बिक्री कर

#### 2.8 घोषणा पत्रों का दुरुपयोग

व्यापारियों ने फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध ₹ 3.29 करोड़ का माल जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था कर की रियायती दर पर क्रय किया। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की जाँच नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.24 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' में घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0प0) से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की

रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी के 0बि0क0 की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्धदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने आठ वा0क0का0 में (नवम्बर 2013 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 872 में से नौ व्यापारियों ने फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध ₹ 3.29 करोड़ का माल वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान कर की रियायती दर पर क्रय किया। ये माल उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था जिसके लिए वे अभियोजन के बदले, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने अर्धदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने जून 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र तथा फार्म 'सी' के उपयोग के विवरण की जाँच नहीं किया एवं परिणामस्वरूप ₹41.24 लाख का अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को (जनवरी 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं दो मामलों में ₹ 1.17 लाख अर्धदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

## 2.9 ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 54.34 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया, जिस पर ब्याज प्रभार्य था किन्तु इसे कर निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.31 करोड़ ब्याज अप्रभारित रह गया।

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8 (1) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) सपठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 13 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक, 11 अगस्त 2004 तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह और उसके पश्चात 31 दिसम्बर 2007 तक 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 1 जनवरी 2008 से सवा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

हमने 20 वा0क0का0 में (अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की और पाया कि 2,598 में से 30 व्यापारियों ने वर्ष 1999-2000 से 2011-12 के दौरान स्वीकार किया गया कर ₹ 54.34 करोड़ दो दिन से 3,225 दिनों के विलम्ब से बिना ब्याज के जमा किया। स्वीकार किये गये कर की विलम्ब से जमा धनराशि पर जमा की तिथि तक ₹ 5.32 करोड़ ब्याज आकर्षित हुआ, जबकि व्यापारियों ने मात्र ₹ 1.48 लाख ही जमा किया। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.31 करोड़ ब्याज अप्रभारित रह गया जैसा कि परिशिष्ट-XIII में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2013 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं 10 मामलों में ₹ 3.50 करोड़ ब्याज

प्रभारित किया जिसमें से ₹ 8.34 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों में विभाग ने बताया की कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

## 2.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में 26 वा0क0का0 के वर्ष 2008-09 से 2011-12 अवधि के 3,603 में से 32 व्यापारियों के मामलों में आई0टी0सी0 दावे से सम्बन्धित ₹ 3.59 करोड़ की विभिन्न अनियमिततायें जैसे अनियमित/गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 के दावे, अधिक धनराशि के दावे, अर्थदण्ड का अनारोपण, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना और उस पर ब्याज को प्रभारित न किया जाना आदि का पता चला। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तारों में दिये गये हैं।

### 2.10.1 गैर-अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का न/कम उत्क्रमित किया जाना तथा ब्याज प्रभारित न करना

व्यापारियों ने ₹ 62.05 लाख की आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जिसे कर निर्धारण के समय ब्याज सहित उत्क्रमित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.28 लाख की आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमण हुआ तथा ब्याज का प्रभारण नहीं हुआ (आर0आई0टी0सी0 ₹ 62.05 लाख एवं ब्याज ₹ 25.23 लाख)।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रांत के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से क्रय किये गये माल पर अधिनियम की अनुसूची I से V में निर्धारित दरों पर संदत्त अथवा संदेय कर की सीमा तक आई0टी0सी0 अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 13(1)(अ) (प्रभावी दिनांक 28.02.2009 से यथा संशोधित) के अनुसार यदि राज्य के भीतर से क्रय किये गये कर योग्य माल का प्रान्त बाहर अन्तरण/पारेषण या माल के विनिर्माण में प्रयोग से विनिर्मित माल को प्रांत के बाहर अन्तरण या पारेषण किया जाये तो ऐसी दशा में इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, की सीमा तक अनुमन्य है। धारा 13(1)(ब) के अनुसार जहाँ माल का पुनर्विक्रय क्रय मूल्य में कम कीमत पर किया जाता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि अनुमन्य होगी। पुनश्च अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाएगा।

हमने 17 वा0क0का0 में (नवम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों तथा पत्रावलियों की नमूना जाँच की और पाया कि 2,412 में से 21 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 62.05 लाख की गलत आई0टी0सी0 का दावा किया जो कि उनको अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 को नवम्बर 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करना चाहिये था और व्यापारियों को इस उत्क्रमित आई0टी0सी0 की धनराशि जो उत्क्रमित नहीं की गयी, को साधारण ब्याज सहित जमा करने के लिए आदेशित करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.28 लाख के आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमण हुआ तथा ब्याज का प्रभारण होने से रह गया (आर0आई0टी0सी0 ₹ 62.05 लाख एवं ब्याज ₹ 25.23 लाख)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (फरवरी 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा एक मामले में ₹ 0.84 लाख आई0टी0सी0 उत्क्रमित की जबकि ब्याज प्रभारित नहीं किया गया और एक अन्य

मामलों में ब्याज सहित ₹ 0.77 लाख की आईटीसी उल्कमित की। शेष मामलों में विभाग ने उत्तर में कहा कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.10.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिथ्या दावों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

₹ 54.43 लाख का मिथ्या आईटीसी दावा कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उल्कमित किया गया किन्तु ₹ 2.72 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उपरोक्त अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपठित उपरोक्त नियमावली, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी को कर बीजक के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर भुगतान किये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से माल की खरीद पर नकद जमा के मामलों में, उनके द्वारा की गयी खरीद या बिक्री पर संदत्त या संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आईटीसी का दावा किया है तो आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, उल्कमित किया जायेगा, उक्त अधिनियम सपठित उपरोक्त नियमावली के नियम 21, 22, 23 एवं 25 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दावाकृत आईटीसी को उल्कमित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 54(1)(19) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कनिप्रा संतुष्ट है कि जहाँ यथास्थिति कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आईटीसी के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देयकर यदि कोई हो, के साथ अर्थदण्ड के रूप में आईटीसी की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा।

हमने 10 वाकका में (दिसम्बर 2013 एवं अगस्त 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,191 में से 11 व्यापारियों के मामलों में कनिप्रा ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आईटीसी का प्रति सत्यापन किया एवं पाया कि व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 54.43 लाख की आईटीसी का मिथ्यापूर्वक/कपटपूर्ण दावा किया था। व्यापारियों ने मिथ्यापूर्वक/कपटपूर्ण आईटीसी का दावा किया था अतः वे आईटीसी की धनराशि के पाँच पुने के बराबर धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान के दायी थे। यद्यपि कि कनिप्रा ने आईटीसी उल्कमित कर दी परन्तु ₹ 2.72 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (फरवरी 2014 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं तीन मामलों में ₹ 35.52 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

### 2.11 विलम्ब से जमा किये गये संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

कनिप्रा ने व्यापारियों पर संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर ₹ 2.51 करोड़ को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर ₹ 5.03 अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया था।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से

चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में क०नि०प्रा० ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 11 वा०क०का० में (नवम्बर 2013 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,570 में से 15 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 2.51 करोड़ कर की कटौती की परन्तु 14 व्यापारियों ने इसे निर्धारित समय के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया एवं एक प्रकरण में कर को राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया था। विलम्ब की अवधि 5 दिनों से लेकर सात माह 12 दिनों की थी। का०नि०प्रा० ने जून 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 5.03 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड के अनारोपण का कोई कारण ही अंकित किया।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (फरवरी 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं चार मामलों में ₹ 56.41 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों के लिए बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।